



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD.

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN ENTERPRISE)

REGD OFFICE : C-89-90, LAL KOTHI SCHEME, JAIPUR,

CORPORATE OFFICE : 4-MEERA MARG, UDAIPUR (RAJ.)

CIN-U14109RJ1949SGC000505, GSTIN-08AAACR7857H1Z0

TELEPHONE: 0294-2428741-42, FAX : 0294-2428770

Email ID: pension.rsmml@rajasthan.gov.in

Website: www.rsmm.com

क्रमांक :- आरएसएमएमएल/सीओ/एफ एण्ड ए/2023-24/825

दिनांक :- 14 अगस्त 2023

कार्यालय आदेश

विषय :- पुरानी पेंशन योजना लागू (ओपीएस) का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि के संबंध में।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु दिशा-निर्देश आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त नियम/2021 दिनांक 20.04.2023, प.13(12) वित्त नियम/2021 दिनांक 06.07.2023 के क्रम में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 10.07.2023 में लिये गये निर्णय के अनुसार आदेश संख्या आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/19(38)2023/192 दिनांक 17.07.2023 एवं 27.07.2023 में आरएसएमएमएल के सेवानिवृत्त कार्मिकों से विकल्प पत्र दिनांक 31.08.2023 तक मांगे गये हैं तथा साथ ही दिनांक 31.08.2023 तक नियोक्ता अंशदान की राशि मय ब्याज एक मुश्त जमा करानी है। इस संबंध में जो विकल्प पत्र प्राप्त हुए, उस संदर्भ में लेख है कि निम्न विवरण के अनुसार दिनांक 31.08.2023 तक कुल समेकित मांग राशि (ब्याज की गणना 31.08.2023 तक) जमा करानी है। संलग्न प्रपत्र में कुल जमा योग्य राशि की गणना दर्शायी गयी है।

उपरोक्त मांग राशि को निम्नलिखित बैंक में बैंकर्स चैक/डीडी, आरटीजीएस (RTGS) अथवा एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से दिनांक 31.08.2023 तक जमा करावें।

BANK NAME & BRANCH	HDFC BANK LTD
BANK BRANCH	CHETAK CIRCLE, UDAIPUR
BENIFICIARY NAME	RSMMML OPS
VIRTUAL BANK A/C NO *	RSMM92XXXXX (XXXXX represents 5- digit Employee code)
IFSC CODE	HDFC0000119

* XXXXX का मतलब संबंधित कार्मिक का Employee Code है, उदाहरण के तौर पर यदि कार्मिक का नम्बर 12345 है तो Bank Account No. RSMM9212345 होगा। यदि कार्मिक का नम्बर 6789 है तो Bank Account No. RSMM9206789 होगा।

नोट :-

1. उपरोक्त समेकित मांग राशि की गणना वित्त विभाग के आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 06.07.2023 के नियमानुसार की गई है। जिसमें नियोक्ता द्वारा किये गये पूर्ण अंशदान, कर्मचारी द्वारा किये गये आहरण, ईपीएस एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (VRS) Ex-gratia या अन्य रूप से अतिरिक्त राशि में जमा राशि उस पर नियमानुसार देय ब्याज की गणना की राशि है।

Director (Pension)
Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.
4, Meera Marg, Udaipur-313001



RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LTD.

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN ENTERPRISE)

REGD OFFICE : C-89-90, LAL KOTHI SCHEME, JAIPUR,

CORPORATE OFFICE : 4-MEERA MARG, UDAIPUR (RAJ.)

CIN-U14109RJ1949SGC000505, GSTIN-08AAACR7857H1Z0

TELEPHONE: 0294-2428741-42, FAX : 0294-2428770

Email ID: pension.rsmml@rajasthan.gov.in

Website: www.rsmm.com

2. आरएसएमएमएल ग्रेच्युटी नियमों के अनुसार पेंशन परिलाभों की गणना में ग्रेच्युटी की राशि यदि निर्धारित सीमा से अधिक दी गई तो उक्त अधिक प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि मय ब्याज उपरोक्त समेकित मांग में सम्मिलित है।
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मात्र राशि जमा/समायोजित कराने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा बल्कि जमा राशि की जाँच होने तथा तदनुसार निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर कार्मिक विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकार करने पर नियमानुसार देय तिथी से पेंशन निर्धारित की जायेगी।
4. उपरोक्त समेकित मांग राशि की गणना करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, परन्तु मानवीय भूल/त्रुटि के कारण भविष्य में कोई अशुद्धि पाई जाती है तो, उक्त भूल/त्रुटि को शुद्ध किया जायेगा। यदि वित्त विभाग राजस्थान सरकार से कोई दिशा-निर्देश एवं आदेश जारी होता है तो वो मान्य होगा।
5. उपरोक्त समेकित मांग राशि जमा करवाने के पश्चात् संबंधित भुगतान का साक्ष्य आवश्यक रूप से कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर को देना होगा। साथ ही साक्ष्य प्रस्तुत करने के साथ इस आशय की सहमति भी देनी होगी कि वित्त विभाग के संशोधित दिशा निर्देश/मार्गदर्शन दिनांक 06.07.2023 की निरन्तरता यदि दिनांक 31.08.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जाँच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहता है, तो ऐसी समस्त राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.09.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

 (राजेन्द्र राव)
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(Rajendra Rao)

Dy. General Manager (F & A)
Rajasthan State Mines & Minerals Limited
4, Meera Marg, Udaipur-315004

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
1	10991	R.SHARAN	1152971	0	0	0	0	1152971	RSMM9210991
2	11068	SATYA NARAYAN GOHIL	1892606	0	0	310216	0	2202822	RSMM9211068
3	12194	S.L. VARI	1110508	325811	287235	511591	0	2235145	RSMM9212194
4	12328	N.SHASHIDHARAN	2471152	0	23044	330453	0	2824649	RSMM9212328
5	12330	R.N.MAURYA	945548	0	0	0	0	945548	RSMM9212330
6	12363	BALDEO KUMAR	1259992	704878	305175	104890	0	2374935	RSMM9212363
7	12396	M.N.BHOWMIC	685117	0	216455	0	0	901572	RSMM9212396
8	12407	P.K.DAGA	2414331	0	287113	529256	0	3230700	RSMM9212407
9	12521	S.L.SONI	890009	0	239234	0	0	1129243	RSMM9212521
10	12600	NARAYAN LAL	971531	0	269410	0	0	1240941	RSMM9212600
11	12655	M.K.MUKHARJEE	1038399	0	151063	445923	0	1635385	RSMM9212655
12	12677	H.S.BHADVIYA	1060749	0	213126	0	0	1273875	RSMM9212677
13	12723	CHAIN S. SINGHVI	1111515	0	221602	0	0	1333117	RSMM9212723
14	12767	P.C.JOSHI	1883417	0	313207	377083	0	2573707	RSMM9212767
15	12813	K.P.KARAN	929323	0	224471	0	0	1153794	RSMM9212813
16	12846	CHANDAN SINGH	1905009	0	320928	1172856	0	3398793	RSMM9212846
17	12857	BHAGWAT SINGH	1285656	0	287012	172937	0	1745605	RSMM9212857
18	12868	A.S.CHOONDAWAT	1741729	0	239169	0	0	1980898	RSMM9212868
19	12892	PANKAJ CHOUDHARY	1077570	0	219716	0	0	1297286	RSMM9212892
20	13026	I.U.KHAN	421245	1840690	281552	0	0	2543487	RSMM9213026
21	13116	N.RAJ GOPALAN	1607751	0	300187	646131	0	2554069	RSMM9213116
22	13228	LABH CHAND MALI	1106439	0	293105	0	0	1399544	RSMM9213228
23	13285	MURTAZA ALI	382087	0	69575	0	0	451662	RSMM9213285
24	13667	HEM RAJ	537747	0	232516	0	0	770263	RSMM9213667
25	13680	SHANKAR SINGH	591558	0	238214	0	0	829772	RSMM9213680
26	13702	KALYAN SINGH	592126	47868	248668	0	0	888662	RSMM9213702
27	13792	PREM SINGH	912629	0	271252	0	0	1183881	RSMM9213792
28	13915	NARAYAN LAL [660]	1174296	0	308232	54749	0	1537277	RSMM9213915

22/10/20

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
29	14038	P.N.SRIKUMAR	1042579	715370	292431	0	0	2050380	RSMM9214038
30	14051	SARASAMMA VIJAYAN	1809873	0	302474	666454	0	2778801	RSMM9214051
31	14095	S.K.DATTA	1602582	0	291516	405679	0	2299777	RSMM9214095
32	14128	ANAND SINGH	849173	1072937	346537	455941	0	2724588	RSMM9214128
33	14275	K.L.VERMA	1100657	0	266839	0	0	1367496	RSMM9214275
34	14321	R.P.SHARMA	556941	0	182093	0	0	739034	RSMM9214321
35	14343	R.L.BHANDARI	753391	0	201265	0	0	954656	RSMM9214343
36	14354	N.C.JAIN	760104	0	202975	0	0	963079	RSMM9214354
37	14365	H.L.TRIPATHI	963127	0	223080	0	0	1186207	RSMM9214365
38	14433	D.S.SHARMA	601197	0	180273	0	0	781470	RSMM9214433
39	14556	MRS.LALITHAMMA	1356514	0	271334	0	0	1627848	RSMM9214556
40	14578	T.C.CHOWDHARY	132668	1872833	295628	601891	0	2903020	RSMM9214578
41	14580	I.M.BIKANERIA	1438980	0	306517	793119	0	2538616	RSMM9214580
42	14591	C.L.KUMAWAT	792448	0	248333	0	0	1040781	RSMM9214591
43	14602	S.K.BHARADWAJ	254719	1435507	254856	0	0	1945082	RSMM9214602
44	14613	J.N.LAHIRI	413758	0	167430	0	1185660	1766848	RSMM9214613
45	14624	M.K.MUNOT	1963811	0	307854	789643	0	3061308	RSMM9214624
46	14635	A.K.SANGANERIA	1046007	0	262388	0	1676694	2985089	RSMM9214635
47	14657	MRS.DEVYANI GOPI	896034	0	259363	0	0	1155397	RSMM9214657
48	14670	S.M.IYER	1593853	0	323473	1251128	0	3168454	RSMM9214670
49	14703	R.C.SHARMA	1389234	0	271334	0	0	1660568	RSMM9214703
50	14714	B.R.RAJANI	1640188	0	262120	20363	0	1922671	RSMM9214714
51	14725	GANESH LAL MOAD	1083323	1386477	310574	834287	0	3614661	RSMM9214725
52	14758	A.L.MEHTA	1982185	0	274118	20445	0	2276748	RSMM9214758
53	14850	KESHAR SINGH	1620265	0	325344	835482	0	2781091	RSMM9214850
54	14861	S.S. PUJARI	483240	0	203740	0	0	686980	RSMM9214861
55	14938	J.J.SHARMA	1687502	0	298383	596712	0	2582597	RSMM9214938
56	14940	G.L.DHUPPAR	2160286	0	334734	1507657	0	4002677	RSMM9214940

Handwritten signature

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
57	14951	V.K.DAVE	861549	0	250221	0	0	1111770	RSMM9214951
58	14962	K.L.MEGHWAL	1873109	0	305238	494640	0	2672987	RSMM9214962
59	14973	K.V.SHARMA	1342371	0	266895	0	0	1609266	RSMM9214973
60	14984	S.C.KHANNA	1770924	0	302534	588901	0	2662359	RSMM9214984
61	14995	PUSHPA MAMTANI	2009198	0	328445	1269409	0	3607052	RSMM9214995
62	15006	S.VIJAY VERGIA	841796	0	169540	299872	0	1311208	RSMM9215006
63	15030	T.S.KARNAWAT	1447347	0	202910	580630	0	2230887	RSMM9215030
64	15041	SURESH PALIWAL	2070837	0	314457	423662	0	2808956	RSMM9215041
65	15153	RAMESH SOLANKI	1649828	0	295628	310033	0	2255489	RSMM9215153
66	15210	D.R.DHABAI	2520503	0	281526	821187	0	3623216	RSMM9215210
67	15232	MAGAN LAL	939849	1950795	356085	1507682	0	4754411	RSMM9215232
68	15265	D.P.KHATOD	279271	897836	135946	0	0	1313053	RSMM9215265
69	15322	LAXMI NARAYAN MOCHI	1902426	0	392942	0	0	2295368	RSMM9215322
70	15333	R.S.GHARU	1539610	0	367230	0	0	1906840	RSMM9215333
71	15401	GOPI VALLABH	660512	0	182054	0	0	842566	RSMM9215401
72	15502	D.K.THAKUR	896467	0	218128	0	0	1114595	RSMM9215502
73	15524	S.N.CHATTERJEE	1547944	0	254784	0	0	1802728	RSMM9215524
74	15557	M.K.MATHUR	2417403	0	309292	722204	0	3448899	RSMM9215557
75	15625	DR. D.K.GUPTA	1558153	0	259431	0	0	1817584	RSMM9215625
76	15658	MRS.CHINNAMMA STEPHE	952016	0	256316	0	0	1208332	RSMM9215658
77	15660	RATAN SINGH	2085930	0	370558	0	0	2456488	RSMM9215660
78	15671	N.L.MENARIA I	366886	852427	270382	0	0	1489695	RSMM9215671
79	15693	H.S.KALASUA	1138808	0	308775	414788	0	1862371	RSMM9215693
80	15704	THAWAR CHAND II	1542115	0	370819	312448	0	2225382	RSMM9215704
81	15715	R.K.TALREJA	447301	1823053	329750	1289716	0	3889820	RSMM9215715
82	15726	D.C.DIWEDI	2150811	325734	355763	2038173	0	4870481	RSMM9215726
83	15737	K.L.ACHWANI	920077	508113	274278	0	0	1702468	RSMM9215737
84	15748	ASGAR ALI BOHRA	1396963	0	294243	282339	0	1973545	RSMM9215748

Handwritten signature

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
85	15750	C.L.PURBIA	914468	0	259363	0	0	1173831	RSMM9215750
86	15794	GOVIND SINGH	1345739	0	240774	0	0	1586513	RSMM9215794
87	15816	MRS.HARI GODHANI	1920992	0	325940	964846	0	3211778	RSMM9215816
88	15827	V.K.SONI	899821	1392088	311832	901491	0	3505232	RSMM9215827
89	15838	N.K.MOHALE	1490964	0	310511	576334	0	2377809	RSMM9215838
90	15840	S.L.SEHLOT	706817	0	224652	0	1238429	2169898	RSMM9215840
91	15851	V.K.KOUSHAL	1394991	0	275739	0	0	1670730	RSMM9215851
92	15884	U.C.DWIVEDI	791590	1027032	327901	1199566	0	3346089	RSMM9215884
93	15895	O.P.SHARMA	1939115	277039	346667	1632888	0	4195709	RSMM9215895
94	15906	RAMESH SADHWANI	780298	0	245480	0	0	1025778	RSMM9215906
95	15928	KARAN SINGH	461919	0	248899	0	0	710818	RSMM9215928
96	15930	P.C.PARIHAR	493026	635730	259363	0	0	1388119	RSMM9215930
97	15952	A.L.SALVI	1589154	0	300653	722889	0	2612696	RSMM9215952
98	16007	L.R.CHANDEL	2197978	0	341899	1461132	0	4001009	RSMM9216007
99	16031	RAJESH AJMERA	2310752	0	359180	1741688	0	4411620	RSMM9216031
100	16042	RAM CHANDRA	589650	0	205500	0	0	795150	RSMM9216042
101	16064	MAGNI RAM	2057518	0	341659	1220378	0	3619555	RSMM9216064
102	16086	JAGDISH LAL	788499	0	249373	0	0	1037872	RSMM9216086
103	16097	NAND KISHORE VARI	1844535	0	333855	990294	0	3168684	RSMM9216097
104	16108	S.N.SINGH JHALA	572042	829763	275460	0	0	1677265	RSMM9216108
105	16121	MRS.SHANTA KISHNANI	1887175	0	343084	1408401	0	3638660	RSMM9216121
106	16132	H.S.JAIN	1711993	838298	344279	1830817	0	4725387	RSMM9216132
107	16143	KULDEEP KHAMESARA	941149	0	274222	0	0	1215371	RSMM9216143
108	16154	N.K.KOTHARI	844912	0	257842	0	385967	1488721	RSMM9216154
109	16187	LOKESH SINGHVI	1298262	0	292912	0	0	1591174	RSMM9216187
110	16200	ARVIND LODHA	719865	0	209029	0	0	928894	RSMM9216200
111	16222	N.S.CHUNDAWAT	1326745	0	272871	0	0	1599616	RSMM9216222
112	16244	LALIT BAPNA	1840230	0	313147	864841	0	3018218	RSMM9216244

[Handwritten signature]

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
113	16255	S.S.RAO	741426	0	264978	0	1335417	2341821	RSMM9216255
114	16266	R.S.SANKHLA	394854	2828400	371992	167479	0	3762725	RSMM9216266
115	16277	KISHAN SINGH	1260967	0	276838	0	0	1537805	RSMM9216277
116	16288	S.K.RAO	1674925	0	291514	0	0	1966439	RSMM9216288
117	16301	GANGA RAM	1920318	0	338714	971052	0	3230084	RSMM9216301
118	16312	SOBHA LAL SUHALKHA	1653666	465467	346521	1447586	0	3913240	RSMM9216312
119	16345	VARDI CHAND	644630	0	206510	0	0	851140	RSMM9216345
120	16391	HAMID HUSSAIN	1462587	0	291456	105064	0	1859107	RSMM9216391
121	16413	K.L.MALI	964711	1035397	326339	758222	0	3084669	RSMM9216413
122	16492	RATAN LAL	1289574	0	335249	378906	0	2003729	RSMM9216492
123	16536	M.B.DIXIT	385645	428576	246187	0	0	1060408	RSMM9216536
124	16558	P.K.V. PANIKAR	1023541	1185479	302534	433794	0	2945348	RSMM9216558
125	16560	CHANDRA SINGH PANWAR	671521	0	241011	0	0	912532	RSMM9216560
126	16593	DAGLUS PETER	720470	0	272253	0	0	992723	RSMM9216593
127	16626	BHANWAR LAL	1200981	1351518	358597	1319854	0	4230950	RSMM9216626
128	16650	SURENDRA MATHUR	2083558	0	271402	622155	0	2977115	RSMM9216650
129	16683	V.D.GUPTA	2330275	0	298627	0	0	2628902	RSMM9216683
130	16784	DURGA SHANKER	437868	1898225	417752	19203	0	2773048	RSMM9216784
131	16828	LALU TEJA	933462	0	289924	0	0	1223386	RSMM9216828
132	16863	HEERA MOTI	1514592	0	349715	590715	0	2455022	RSMM9216863
133	16874	MOTI KHATRA	1147823	477589	351032	756048	0	2732492	RSMM9216874
134	16918	SUNIL RODGERS	1980505	0	339577	1205493	0	3525575	RSMM9216918
135	16942	O.P.BHARGAVA	935038	0	209765	288317	0	1433120	RSMM9216942
136	16964	GULAB JAIN	1250867	0	302441	204684	0	1757992	RSMM9216964
137	17021	L.L.MEGWAL	1879132	0	364425	0	0	2243557	RSMM9217021
138	17032	NAKSHATRA MAL	1224515	2305315	430709	843400	0	4803939	RSMM9217032
139	17087	P.L.KUMAWAT	1682951	0	302360	111222	0	2096533	RSMM9217087
140	17100	MANA MEENA	2490068	0	471526	0	0	2961594	RSMM9217100

07/07

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
141	17144	RAMESH CHAND	1197534	0	357885	0	0	1555419	RSMM9217144
142	17155	S.L.KUMAWAT	1166105	0	248629	0	0	1414734	RSMM9217155
143	17166	N.K.BANDHU	1901362	0	330749	852271	0	3084382	RSMM9217166
144	17177	B.L.GUPTA	743809	0	110208	0	0	854017	RSMM9217177
145	17188	BRIJ MOHAN	1500831	0	360902	339582	0	2201315	RSMM9217188
146	17234	BHARAT SINGH	2407435	0	383566	0	0	2791001	RSMM9217234
147	17245	JAGAT SINGH	1943076	865260	402768	129801	0	3340905	RSMM9217245
148	17280	PRAMOD KUMAR KUNDRA	2704900	0	441651	554583	0	3701134	RSMM9217280
149	17291	RAJENDRA DAVE	1628249	0	342200	696717	0	2667166	RSMM9217291
150	17335	SHIVPAL SINGH	808749	1005693	345391	611445	0	2771278	RSMM9217335
151	17346	LAXMI KANT	1656093	237603	362026	930464	0	3186186	RSMM9217346
152	17357	PUSHKAR RAJ	1962101	0	369990	0	0	2332091	RSMM9217357
153	17370	DEVI LAL	1391134	1256932	405265	0	0	3053331	RSMM9217370
154	17381	DURGESH VALLABH	2204627	0	409826	0	0	2614453	RSMM9217381
155	17392	GAUTAM KUMAR	2350644	0	452894	138777	0	2942315	RSMM9217392
156	17403	HARI SHANKAR	2701757	0	437783	547020	0	3686560	RSMM9217403
157	17414	SURESH KUMAR	2790961	0	490551	989939	0	4271451	RSMM9217414
158	17425	N.B.LAL BHATNAGAR	808322	1750575	389426	0	0	2948323	RSMM9217425
159	17471	NATHU RAM	2369397	0	482332	158486	0	3010215	RSMM9217471
160	17482	M.S.KHAMESARA	3430576	0	326621	2306078	0	6063275	RSMM9217482
161	17493	DR.J.S.JHALA	1267537	0	254852	0	0	1522389	RSMM9217493
162	17515	ABBAS KHAN	2913170	0	417168	566607	0	3896945	RSMM9217515
163	17526	BHANWAR LAL	1851343	0	360977	1101349	0	3313669	RSMM9217526
164	17583	BABLOO BANERJEE	536798	0	231789	0	996988	1765575	RSMM9217583
165	17627	HARI RAM PATEL	1960856	0	329720	847543	0	3138119	RSMM9217627
166	17640	MRS.MANJU RANI GARG	624296	0	241408	0	0	865704	RSMM9217640
167	17662	SHAMBHU LAL	1713743	0	354484	754623	0	2822850	RSMM9217662
168	17673	NOPAT RAM MEGHWAL	2140654	0	401287	0	0	2541941	RSMM9217673

DK

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
169	17864	BHANWAR SINGH	1437511	156635	380626	0	0	1974772	RSMM9217864
170	17875	SURESH CHANDRA MENARIYA	2021589	0	388518	0	0	2410107	RSMM9217875
171	17886	BABU LAL	982795	0	393720	0	0	1376515	RSMM9217886
172	17943	RAM LAL	2215043	0	410600	0	0	2625643	RSMM9217943
173	17976	N.HABIB	1201565	1136569	434587	0	0	2772721	RSMM9217976
174	18022	BHAGWATI LAL	2452582	0	444669	263294	0	3160545	RSMM9218022
175	18044	SUNDER LAL	1659124	0	425624	0	0	2084748	RSMM9218044
176	18134	CHANDRA SHEKHAR	1063089	2088625	500968	700413	0	4353095	RSMM9218134
177	18145	SURESH VIG	3116045	297423	506855	1270970	0	5191293	RSMM9218145
178	18213	N.K.DASHOTAR	760323	446503	285968	0	0	1492794	RSMM9218213
179	18224	DAU LAL	1009683	0	294198	0	0	1303881	RSMM9218224
180	18257	S.R.S.RAO	1446530	0	327302	531789	0	2305621	RSMM9218257
181	18270	M.K.DAGA	2309631	0	385766	0	0	2695397	RSMM9218270
182	18281	ASHOK MEHTA	2140016	0	385766	0	0	2525782	RSMM9218281
183	18292	O.P.SONI	2568642	0	425298	0	0	2993940	RSMM9218292
184	18303	K.R. MEGHWAL	2524014	0	431368	339762	0	3295144	RSMM9218303
185	18325	SIRAJ MOHD.	1518520	376153	373140	0	0	2267813	RSMM9218325
186	18336	O.P. YADAV	2453588	0	435377	480954	0	3369919	RSMM9218336
187	18347	R.P. SINGH	1102872	1248395	336286	748626	0	3436179	RSMM9218347
188	18358	S.N. SINGH	1683817	0	338752	511778	0	2534347	RSMM9218358
189	18360	KRISHNA CHNADRA SHRIMALI	2261431	0	387904	0	0	2649335	RSMM9218360
190	18382	J.L. GUPTA	656301	1603518	307824	146216	0	2713859	RSMM9218382
191	18393	R.S. VAISHNAV	1860037	0	336089	587178	0	2783304	RSMM9218393
192	18404	L.L PALIWAL	2804579	0	420873	465600	0	3691052	RSMM9218404
193	18415	ABDUL AZIZ	1471088	531481	370388	0	0	2372957	RSMM9218415
194	18437	RAM SINGH CHAUHAN	1822513	0	339479	287512	0	2449504	RSMM9218437
195	18450	DR.G.L.KHANDELWAL	1572566	0	283629	243378	0	2099573	RSMM9218450
196	18516	RAMESH KUMAR	1616711	0	366323	0	0	1983034	RSMM9218516

15/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
197	18538	PUNJI LAL	1932824	0	429569	0	0	2362393	RSMM9218538
198	18562	CHAIN RAM DANGI	3550100	0	500449	1220906	0	5271455	RSMM9218562
199	18663	AMIT KUMAR	1800193	0	370826	0	0	2171019	RSMM9218663
200	18674	PRATAP SINGH	2396657	0	431067	147066	0	2974790	RSMM9218674
201	18707	SURENDRA KUMAR SHARMA	1776562	0	360522	0	0	2137084	RSMM9218707
202	18720	KISHAN SINGH II	1741583	273123	452788	0	0	2467494	RSMM9218720
203	18731	M.R. MEENA	882575	220207	304109	0	0	1406891	RSMM9218731
204	18742	MUBARAK HUSSAIN	1309360	0	320862	0	0	1630222	RSMM9218742
205	18753	S.C. SHARMA	1363868	0	336516	159073	0	1859457	RSMM9218753
206	18764	M.L. JADUR	1666871	0	352043	460050	0	2478964	RSMM9218764
207	18775	K.C. JOSHI	1645161	179887	392308	0	0	2217356	RSMM9218775
208	18797	K.C. YADAV	2077534	157022	447137	170940	0	2852633	RSMM9218797
209	18808	L.L. REGER	2526051	0	451842	259687	0	3237580	RSMM9218808
210	18810	B.L. PALIWAL	1771504	0	367185	0	0	2138689	RSMM9218810
211	18821	S.S.PALIWAL	886496	1670027	405898	0	0	2962421	RSMM9218821
212	18832	S.P. BHATNAGAR	2801770	0	486235	651942	0	3939947	RSMM9218832
213	18843	NANU RAM	2008198	0	456477	163838	0	2628513	RSMM9218843
214	18854	TAKHAT SINGH CHUNDAWAT	2322950	0	411413	0	0	2734363	RSMM9218854
215	18865	SURESH SANADHYA	2449036	196596	462527	528140	0	3636299	RSMM9218865
216	18900	K.S.RAWAT	1899968	0	326795	726077	0	2952840	RSMM9218900
217	18911	L.S.BHADVIYA	2085436	483272	390683	258944	0	3218335	RSMM9218911
218	18922	D.N.DHAYBHAI	1552770	0	333896	318376	0	2205042	RSMM9218922
219	18933	L.P.KHAMESRA	2062011	391587	284393	1451958	0	4189949	RSMM9218933
220	18944	GOPAL GANDHI	2620503	0	300917	987033	0	3908453	RSMM9218944
221	18955	RAM LAL SUTHAR	2429555	0	374625	0	0	2804180	RSMM9218955
222	18966	YOGINDER K. SHARMA	2092186	360153	391752	0	0	2844091	RSMM9218966
223	18977	SHYAM BABU SHARMA	3397905	0	456308	870692	0	4724905	RSMM9218977
224	18990	RAJESH KOTHARI	1943101	0	357807	904713	0	3205621	RSMM9218990

50/20

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
225	19001	RAJESH BHATNAGAR	2237380	186873	415978	74583	0	2914814	RSMM9219001
226	19012	MOHD. HANIF	2790487	0	435359	245101	0	3470947	RSMM9219012
227	19023	RAKESH BOLIA	2796167	0	449804	349732	0	3595703	RSMM9219023
228	19045	P.C.VERMA	3020503	0	462438	632445	0	4115386	RSMM9219045
229	19067	VINAY KUMAR SHARMA	4115493	0	408412	1416365	0	5940270	RSMM9219067
230	19080	SUBHASIS BANERJI	2621338	0	420745	170423	0	3212506	RSMM9219080
231	19102	SMT. RATNAMMA K.P.	1379788	0	360560	0	0	1740348	RSMM9219102
232	19124	BHARTI SHARMA	2164481	0	389745	0	0	2554226	RSMM9219124
233	19135	H.S.JAIN	2543918	0	384147	0	0	2928065	RSMM9219135
234	19146	C.B.RAJAN	4130959	0	394272	490187	0	5015418	RSMM9219146
235	19168	N.K.SINGH	3367348	0	347761	1830119	0	5545228	RSMM9219168
236	19170	OM PRAKASH SONI	4004361	0	381818	399990	0	4786169	RSMM9219170
237	19192	M.S. CHOUHAN	1906633	757699	455479	272091	0	3391902	RSMM9219192
238	19203	O.P. KUMAWAT	2673190	0	480353	73598	0	3227141	RSMM9219203
239	19214	TULSI RAM	3060000	0	507115	809250	0	4376365	RSMM9219214
240	19247	O.P.USTA	2175305	0	434221	0	0	2609526	RSMM9219247
241	19260	L.C.JOSHI	1751229	0	278713	500048	0	2529990	RSMM9219260
242	19282	R.C.KUMAWAT	2019099	0	291519	453885	0	2764503	RSMM9219282
243	19293	P.J.S.KUNDAL	2084375	0	314145	753428	0	3151948	RSMM9219293
244	19304	S.K.AMETA	2702366	0	359522	1222012	0	4283900	RSMM9219304
245	19315	R.C.GUPTA	791358	0	176699	0	0	968057	RSMM9219315
246	19326	MAGAN LAL	1057519	0	272431	0	0	1329950	RSMM9219326
247	19337	M.L.PARMAR	1393150	1437191	431180	156990	0	3418511	RSMM9219337
248	19348	C.L.BAIRWA	773468	1105646	345890	581337	0	2806341	RSMM9219348
249	19383	MADAN SALVI	1834958	1521446	472354	525858	0	4354616	RSMM9219383
250	19405	P.L.MALI	2794390	0	467664	175400	0	3437454	RSMM9219405
251	19416	S.N.TAK	3396241	0	354700	1776093	0	5527034	RSMM9219416
252	19438	D.K.AGRAWAL	4314463	0	448097	1416689	0	6179249	RSMM9219438

25/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
253	19484	SUKH LAL BORDIYA	536295	1152623	343281	218798	0	2250997	RSMM9219484
254	19495	JOGENDRA SINGH	1414628	0	340568	15562	0	1770758	RSMM9219495
255	19620	SURESH CHANDRA	2592306	0	480206	86288	0	3158800	RSMM9219620
256	19642	SHYAM SUNDER	1102477	219110	427604	0	0	1749191	RSMM9219642
257	19653	FIROZ HUSSAIN	3310957	0	502020	851468	0	4664445	RSMM9219653
258	19664	ARJUN LAL	3009517	0	505305	658819	0	4173641	RSMM9219664
259	19675	AMBA LAL SALVI	955056	2098388	510317	725997	0	4289758	RSMM9219675
260	19686	KHUDA BUX	1232553	1777562	514924	782936	0	4307975	RSMM9219686
261	19721	UMESH C. THANVI	3588941	0	506560	570486	0	4665987	RSMM9219721
262	19732	MOHAN LAL	404076	1963846	318356	539022	0	3225300	RSMM9219732
263	19743	R.K.MEENA	5033542	0	464483	1460419	0	6958444	RSMM9219743
264	19765	HANIP MOHAMMED CHHIPA	2996957	1179283	455815	573120	0	5205175	RSMM9219765
265	19776	V.K.BOHRA	3212031	0	391844	235641	0	3839516	RSMM9219776
266	19800	RAJDEO SINGH	3839702	317690	487479	1150023	0	5794894	RSMM9219800
267	19811	AMBA LAL NAGDA	1149502	0	320894	0	0	1470396	RSMM9219811
268	19833	B.L.SHARMA	3539422	612784	498099	973486	0	5623791	RSMM9219833
269	19844	JALA RAM CHAUDHARY	4554936	0	508509	1094721	0	6158166	RSMM9219844
270	19866	LAXMI NARAYAN	1749416	0	369571	0	0	2118987	RSMM9219866
271	19877	NARAYAN LAL MALI	706764	1020274	336740	0	0	2063778	RSMM9219877
272	19888	P.S.MANARIYA	780697	0	273109	0	0	1053806	RSMM9219888
273	19890	C.L. SHARMA	2568149	147908	436340	64157	0	3216554	RSMM9219890
274	19901	RUPA RAM	3149812	0	467282	450966	0	4068060	RSMM9219901
275	19923	RAM LAL	3002042	346214	498356	941995	0	4788607	RSMM9219923
276	19934	JAGDISH SINGH	3619131	0	497069	0	0	4116200	RSMM9219934
277	20035	D.D.SHRIPAT	6281792	0	513727	2245293	0	9040812	RSMM9220035
278	20046	NAVEEN DALAL	5833540	0	482866	1914637	0	8231043	RSMM9220046
279	20068	M.K.KATEWA	3506555	460421	437437	832733	0	5237146	RSMM9220068
280	20070	Y.K.LAHOTI	3483188	268107	515546	993815	0	5260656	RSMM9220070

05/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
281	20193	R.P. JETHI	1116072	0	321031	0	0	1437103	RSMM9220193
282	20226	ARJUN LAL	859417	0	321513	0	0	1180930	RSMM9220226
283	20250	SHIV LAL / DOLA	1090612	0	347684	0	0	1438296	RSMM9220250
284	20283	RAMESH AMBA LAL	1489395	0	397275	0	0	1886670	RSMM9220283
285	20395	LOGAR	1520921	0	403555	0	0	1924476	RSMM9220395
286	20452	SUKH LAL DANGI	1056561	519156	403726	0	0	1979443	RSMM9220452
287	20542	VELJI / KACHRA	1590951	0	430512	0	0	2021463	RSMM9220542
288	20553	RAM DAS BAIRAGI	1926033	0	433790	0	0	2359823	RSMM9220553
289	20586	RAMJAN KHAN	2008461	0	501253	0	0	2509714	RSMM9220586
290	20766	NARAYAN LAL	1997020	147884	460648	0	0	2605552	RSMM9220766
291	20790	ARJUN LAL/ DHANNA	2033227	0	471072	0	0	2504299	RSMM9220790
292	20845	OM PRAKASH	2259785	249141	457822	0	0	2966748	RSMM9220845
293	20878	KANHAIYA LAL	2101618	0	485907	0	0	2587525	RSMM9220878
294	20891	BHANWAR SINGH BHATI	2692880	0	474171	274816	0	3441867	RSMM9220891
295	20902	MADAN LAL KHUBI LAL	2217345	0	499992	0	0	2717337	RSMM9220902
296	21082	PUNAM SINGH DULAWAT	2079421	0	491485	0	0	2570906	RSMM9221082
297	21148	P.C.DHAYBHAI	1375046	0	345694	51851	0	1772591	RSMM9221148
298	21216	VALSALA S.KUMAR	3356970	0	502285	671664	0	4530919	RSMM9221216
299	21227	M.S. PANWAR	2819175	151573	504145	590794	0	4065687	RSMM9221227
300	21251	NATHU LAL	1854663	0	422522	0	0	2277185	RSMM9221251
301	21273	BHAGAT SINGH	1615328	626962	452199	0	0	2694489	RSMM9221273
302	21306	NAVAL CHAND	1729379	0	393450	0	0	2122829	RSMM9221306
303	21317	YUGAL MATHUR	522520	399219	232761	0	1217000	2371500	RSMM9221317
304	21328	ANIL BHATNAGAR	2907726	0	364573	1613219	0	4885518	RSMM9221328
305	21330	SHANTI LAL KOTHARI	4069876	0	424339	956190	0	5450405	RSMM9221330
306	21352	KAMJI RAM	2650225	0	493667	214381	0	3358273	RSMM9221352
307	21363	HARISH KUMAWAT	2041343	319156	505344	341780	0	3207623	RSMM9221363
308	21374	HEMANT TRIVEDI	2027016	598661	505896	254836	0	3386409	RSMM9221374

20/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
309	21385	S.L. KHATIK	2260605	270527	520824	370054	0	3422010	RSMM9221385
310	21453	MAHIPAL JUGTAWAT	5391147	0	485682	1231080	0	7107909	RSMM9221453
311	21464	MUKESH SHARMA	3642514	255939	552035	966584	0	5417072	RSMM9221464
312	21497	RAJENDRA KUMAR	517515	945315	361472	0	0	1824302	RSMM9221497
313	21508	DHAN RAJ	1321004	0	403249	0	0	1724253	RSMM9221508
314	21532	IQBAL MOHD	1164944	810356	428735	0	0	2404035	RSMM9221532
315	21576	RAJEEV LODHA	3999839	586227	454929	1165206	0	6206201	RSMM9221576
316	21611	DIPAK KUMAR ROY	2576689	0	420988	0	0	2997677	RSMM9221611
317	21622	SATISH KACHHAWA	5253776	0	483799	1130107	0	6867682	RSMM9221622
318	21723	SUDHIR KUMAWAT	940051	1024776	410642	0	0	2375469	RSMM9221723
319	21780	R.A. YADAV	2573617	146095	508377	247544	0	3475633	RSMM9221780
320	21835	S.S.NAGDA	2727559	0	484214	171504	0	3383277	RSMM9221835
321	21857	S.R.TIWARI	912314	0	223080	0	0	1135394	RSMM9221857
322	21868	MANOJ SWARUP	2405239	0	269856	212850	0	2887945	RSMM9221868
323	21881	A.K.CHOUDHARY	5273253	0	489350	1679074	0	7441677	RSMM9221881
324	21947	PREMA IYER	3558351	0	516138	903712	0	4978201	RSMM9221947
325	21960	SUNIL SHUKLA	2590555	189234	460110	414869	0	3654768	RSMM9221960
326	21993	ROD SINGH	928226	0	284617	0	0	1212843	RSMM9221993
327	22004	BHANWAR SINGH	3049787	0	482982	168822	0	3701591	RSMM9222004
328	22015	ONKAR LAL SHARMA	991655	667266	337740	54192	0	2050853	RSMM9222015
329	22026	R.C. VERMA	4242870	0	441759	1191110	0	5875739	RSMM9222026
330	22048	P.K.PATNI	1278020	0	275739	0	0	1553759	RSMM9222048
331	22050	R.K.MEHTA	2705848	0	297071	1147892	0	4150811	RSMM9222050
332	22061	JEEVA LAL	1360611	352153	395249	0	0	2108013	RSMM9222061
333	22072	RAM LAL	1737464	0	402307	0	0	2139771	RSMM9222072
334	22083	PUSHKER RAJ SINGH	1924971	0	440452	0	0	2365423	RSMM9222083
335	22206	KISHORE VYAS	4908278	0	482081	1250668	0	6641027	RSMM9222206
336	22217	RAKESH BHATNAGAR	3472382	466875	446013	1174973	0	5560243	RSMM9222217

Handwritten signature

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
337	22241	H.K.VYAS	4795161	0	433315	1228093	0	6456569	RSMM9222241
338	22318	M.K. JOSHI	2500048	0	463263	0	0	2963311	RSMM9222318
339	22320	RAKESH MATHUR	2810089	0	473191	178445	0	3461725	RSMM9222320
340	22342	VIJAY LAL JAIN	3193210	0	450671	157375	0	3801256	RSMM9222342
341	22353	RAMESH PATIDAR	4045177	0	521859	1010630	0	5577666	RSMM9222353
342	22454	CHANDRA SINGH RAJPUROHIT	1594063	0	357859	0	0	1951922	RSMM9222454
343	22465	D.D.HARIT	1365698	260901	391317	0	0	2017916	RSMM9222465
344	22476	K.C.SHARMA	1069638	844915	408241	0	0	2322794	RSMM9222476
345	22487	DEVENDRA SONI	1942879	0	471559	0	0	2414438	RSMM9222487
346	22847	AMBALAL GAMETI	507224	100831	326646	0	0	934701	RSMM9222847
347	23073	RAMESH KALU RAM	1225803	0	403370	0	0	1629173	RSMM9223073
348	23106	AMRIT LAL KHATRA	1498700	0	423683	0	0	1922383	RSMM9223106
349	23196	DHANNA RATNA	1411257	0	425623	0	0	1836880	RSMM9223196
350	23332	RATAN SINGH R. SINGH	595161	885786	417176	0	0	1898123	RSMM9223332
351	23398	SATYA PRAKASH	550584	1590466	432205	0	0	2573255	RSMM9223398
352	23400	ABDUL MAZID	1483593	452603	435025	0	0	2371221	RSMM9223400
353	23466	MAHENDRA KUMAR	1685873	0	450586	0	0	2136459	RSMM9223466
354	23488	DEVI LAL PURA	1974592	113757	477087	0	0	2565436	RSMM9223488
355	23490	CHHOGA LAL GAUTAM	182163	0	185838	0	0	368001	RSMM9223490
356	23545	SMT. LEHAR KANWAR	1514447	160538	470524	0	0	2145509	RSMM9223545
357	23556	REVA SHANKAR	2057326	0	479345	0	0	2536671	RSMM9223556
358	23567	GOPAL PARBHU LAL	1762933	0	478027	0	0	2240960	RSMM9223567
359	23580	RAMESH RADAKISHAN	2144817	0	493214	0	0	2638031	RSMM9223580
360	23602	MOHAMMED HANIF	2080094	0	496914	0	0	2577008	RSMM9223602
361	23613	YOGENDRA SINGH	2541899	0	507172	116834	0	3165905	RSMM9223613
362	23657	ABHAY BANSI LAL	2420130	0	511646	38429	0	2970205	RSMM9223657
363	23703	MOHD. ASIF KHAN	1021188	0	438885	0	0	1460073	RSMM9223703
364	23850	MRS.MADHU BALA	1642081	0	466426	0	0	2108507	RSMM9223850

00/18

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
365	23894	MOTI NANDA	1675054	0	473884	0	0	2148938	RSMM9223894
366	23940	A.K.KUDAL	2454068	0	504319	0	0	2958387	RSMM9223940
367	24041	SUNIL PANDEY	1648706	295156	423096	0	0	2366958	RSMM9224041
368	24074	DIL BAHADUR LODHA	2102182	0	509592	0	0	2611774	RSMM9224074
369	24085	RAM CHANDRA	2467781	0	515678	105380	0	3088839	RSMM9224085
370	24300	HUKMI CHAND MALI	1888333	0	469290	0	0	2357623	RSMM9224300
371	24390	ROOP SHANKAR SHARMA	1776285	558987	542404	318058	0	3195734	RSMM9224390
372	24491	MUKESH TAK	2344804	0	476905	0	0	2821709	RSMM9224491
373	24502	UMA SHANKAR SALVI	1145040	308326	441411	0	0	1894777	RSMM9224502
374	24513	SHIV LAL DANGI	1801317	233215	499935	0	0	2534467	RSMM9224513
375	24535	K.C.JHAWAR	973026	940384	353248	144429	0	2411087	RSMM9224535
376	24546	R.P.BHATNAGAR	1689797	218342	394039	0	0	2302178	RSMM9224546
377	24557	ANIL KUMAWAT	2325129	0	433994	0	0	2759123	RSMM9224557
378	24568	C.P.SHANDILYA	2584380	0	451778	0	0	3036158	RSMM9224568
379	24614	RAHMAT ALI	2463409	0	493396	0	0	2956805	RSMM9224614
380	24783	A.K.PALIWAL	921241	102355	318913	0	0	1342509	RSMM9224783
381	24941	GIRDHARI LAL JETHANI	2129169	0	488519	0	0	2617688	RSMM9224941
382	24974	JAGDISH C. CHOUDHARY	2199101	0	497718	0	0	2696819	RSMM9224974
383	24996	SURESH KUMAR GOLCHA	1558998	138485	500888	0	0	2198371	RSMM9224996
384	25007	LAXMI LAL SHARMA	2343363	0	515920	0	0	2859283	RSMM9225007
385	25110	JINENDRA K. JAIN	1706541	0	471155	0	0	2177696	RSMM9225110
386	25121	AKHILESH KUMAR RAJVANSHI	1287169	0	401140	0	0	1688309	RSMM9225121
387	25334	MADAN LAL SALVI	1183754	0	402763	0	0	1586517	RSMM9225334
388	25481	M.S. RATHORE	1928933	0	496696	0	0	2425629	RSMM9225481
389	25637	SURESH DATT DADHICH	2724425	0	482378	0	0	3206803	RSMM9225637
390	25648	MADAN LAL KHATIK	2567057	0	519538	93361	0	3179956	RSMM9225648
391	25650	HEMANT KUMAR VEERWAL	2424614	0	507128	0	0	2931742	RSMM9225650
392	25795	VIPIN GARG	2337771	247329	483415	0	0	3068515	RSMM9225795

20/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
393	25852	MUKESH CHATURVEDI	5895022	145666	558899	2060973	0	8660560	RSMM9225852
394	25953	B.S.GUPTA	4582435	166325	527885	1582102	0	6858747	RSMM9225953
395	26122	RAJENDRA GANGANI	2498554	0	477489	0	0	2976043	RSMM9226122
396	26280	P.K.GANGULY	1820802	301294	340526	0	0	2462622	RSMM9226280
397	26335	RAJENDRA MENARIA	4732770	0	481182	1221870	0	6435822	RSMM9226335
398	26403	SMT. LALITA DEVI	1216981	0	461820	0	0	1678801	RSMM9226403
399	27134	ARUNA SHARMA	1712131	0	465904	0	0	2178035	RSMM9227134
400	27966	RAKESH NAKWAL	372137	0	302979	0	0	675116	RSMM9227966
401	28135	DR. MUKESH	655647	0	144128	117745	0	917520	RSMM9228135
402	30058	DEEN BANDHU PARMAR	913204	0	282275	0	1026835	2222314	RSMM9230058
403	30115	B.S. SHAKTAWAT	1040454	0	292762	0	0	1333216	RSMM9230115
404	30150	R.N.MUNDRA	848339	0	243161	0	0	1091500	RSMM9230150
405	30183	MALA RAM	1303848	0	457988	0	0	1761836	RSMM9230183
406	30238	M.R. GUJAR	472293	0	203215	35448	0	710956	RSMM9230238
407	30273	P.C. AHARI	1067646	0	272292	0	0	1339938	RSMM9230273
408	30284	M.L.PARMAR	1336352	0	314900	470197	0	2121449	RSMM9230284
409	30306	LAXMAN SINGH	924332	0	317021	145906	0	1387259	RSMM9230306
410	30317	BHANWAR LAL PARMAR	929665	0	335736	295089	0	1560490	RSMM9230317
411	30328	P.S.SAINI	1040499	0	272052	0	0	1312551	RSMM9230328
412	30341	BANWARI LAL JAT	1263712	0	279791	125826	0	1669329	RSMM9230341
413	30363	CHATTAR SINGH	771156	0	292326	0	0	1063482	RSMM9230363
414	30385	MUNGI LAL SAINI	1742936	0	293701	891090	0	2927727	RSMM9230385
415	30407	N.L.DAVE	1680983	0	367456	945682	0	2994121	RSMM9230407
416	30486	R.P. RAWAL	547178	0	298135	0	0	845313	RSMM9230486
417	30508	M.C.GUPTA	1097624	541033	299243	1020224	0	2958124	RSMM9230508
418	30532	A.K.GAUR	972378	0	349064	691478	0	2012920	RSMM9230532
419	30543	BIRDHI CHAND	741197	0	279374	0	0	1020571	RSMM9230543
420	30576	K.K.BOHRRA	814476	0	277500	0	0	1091976	RSMM9230576

20/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
421	30587	S.P.SINGH	868110	0	296045	630208	0	1794363	RSMM9230587
422	30600	GOVARDHAN LAL	581423	0	311505	0	0	892928	RSMM9230600
423	30622	B.K.SHARMA	669899	0	259648	0	0	929547	RSMM9230622
424	30655	V.K.JOSHI	1596556	0	309122	147352	0	2053030	RSMM9230655
425	30666	B.R.CHOWRA	319000	0	261486	0	0	580486	RSMM9230666
426	30688	DEV RAM PARMAR	1124519	0	343728	0	0	1468247	RSMM9230688
427	30690	RAMESHWAR LAL	1243409	0	331374	584460	0	2159243	RSMM9230690
428	30712	S.L.CHAUDHARY	855634	707808	331521	731030	0	2625993	RSMM9230712
429	30767	RAMJI CHOUDHURY	1742081	0	280703	591680	0	2614464	RSMM9230767
430	30778	SHIV RAM	1039576	0	350054	0	0	1389630	RSMM9230778
431	30802	R.P.JANGID	1286550	0	324862	564745	0	2176157	RSMM9230802
432	30813	V.S.SHRIMAL	745482	0	274364	0	0	1019846	RSMM9230813
433	30824	M.C.SHARMA	1135205	0	277465	0	0	1412670	RSMM9230824
434	30868	K.R.LAXMANAN	284873	0	260948	0	0	545821	RSMM9230868
435	30870	DEENA RAM CHOUDHARY	1877015	0	356098	1195752	0	3428865	RSMM9230870
436	30903	GANSHYAM PAREEK	798465	0	241597	0	0	1040062	RSMM9230903
437	30925	A.N.PAREEK	906584	0	247205	0	0	1153789	RSMM9230925
438	30971	A.K.KAUSHIK	1970417	0	345479	895996	0	3211892	RSMM9230971
439	31004	S.PONIPPAS	225111	976395	307869	0	0	1509375	RSMM9231004
440	31026	BUDHA RAM	1474842	0	381031	0	0	1855873	RSMM9231026
441	31037	B.D. Charan	224298	0	223562	0	954187	1402047	RSMM9231037
442	31048	SUJA RAM DUDI	1096977	0	353931	247358	0	1698266	RSMM9231048
443	31061	CHANDRA SHEKHER SIKHWAL	1936798	0	404072	0	0	2340870	RSMM9231061
444	31083	B.S.RATHORE	437679	0	222657	0	0	660336	RSMM9231083
445	31094	PADAMA RAM	1393415	0	425572	0	0	1818987	RSMM9231094
446	31105	H.C.TANK	953263	0	337718	659682	0	1950663	RSMM9231105
447	31127	OMPRAKASH TANK	524301	213690	317545	0	0	1055536	RSMM9231127
448	31138	SURNDER SINGH SHEKHAWAT	1472134	0	350524	819357	0	2642015	RSMM9231138

20/2

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
449	31140	KANHIYA LAL VYAS	903631	0	340987	0	0	1244618	RSMM9231140
450	31151	V.P.S.BAGHELA	1690037	0	284699	81536	0	2056272	RSMM9231151
451	31184	RAJESH KUMAR SINGH	866872	0	306998	0	0	1173870	RSMM9231184
452	31195	BHANWARLAL MALI	922803	0	355840	0	0	1278643	RSMM9231195
453	31206	KHATU/VITLA	675128	330860	330413	0	0	1336401	RSMM9231206
454	31217	HARSHAVARDHAN	2523813	0	306808	926498	0	3757119	RSMM9231217
455	31228	BHANWAR SINGH	633894	0	269593	0	0	903487	RSMM9231228
456	31230	MADAN SINGH	636738	850137	383694	0	0	1870569	RSMM9231230
457	31241	MANWAR KHAN	534989	0	297445	0	0	832434	RSMM9231241
458	31252	MAD SINGH	975846	0	304488	0	0	1280334	RSMM9231252
459	31307	RAMJI LAL SAIN	1175191	0	363520	0	0	1538711	RSMM9231307
460	31320	B.L. JAIN	713299	0	337201	306278	0	1356778	RSMM9231320
461	31331	S.R.KURI	942618	0	344368	0	0	1286986	RSMM9231331
462	31342	Sh. Ganga Ram Ahari	509710	0	295905	0	0	805615	RSMM9231342
463	31375	Sh. Dev Chand Damor	328577	0	224967	0	0	553544	RSMM9231375
464	31386	S.K.DIXIT	1889805	0	327536	538270	0	2755611	RSMM9231386
465	31408	A.K.JAIN	900950	0	250986	0	0	1151936	RSMM9231408
466	31432	GHAVER RAM	317556	0	278740	0	0	596296	RSMM9231432
467	31487	B.R.SHARMA	1217885	0	243638	0	0	1461523	RSMM9231487
468	31533	KAILASH CHAND TAILOR	667169	516099	397473	0	0	1580741	RSMM9231533
469	31555	SHAKTI DAN	513707	0	304671	0	0	818378	RSMM9231555
470	31577	MUSLIM KHAN	1221080	0	358202	0	0	1579282	RSMM9231577
471	31645	BHAKHARA RAM	1521798	0	357392	646182	0	2525372	RSMM9231645
472	31656	CHHAGNA RAM	1014264	0	386843	0	0	1401107	RSMM9231656
473	31667	JOY JOSEPH	771937	0	308816	0	0	1080753	RSMM9231667
474	31678	R.K.JHA	1287684	0	437914	0	0	1725598	RSMM9231678
475	31702	J.S.SHEKHAWAT	799453	0	294534	0	0	1093987	RSMM9231702
476	31713	M.H.ANSARI	1486482	0	343666	620930	0	2451078	RSMM9231713

00x

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
477	31735	HARI SINGH	945842	805993	460598	0	0	2212433	RSMM9231735
478	31746	Deep Narayan	1346617	0	342133	577752	0	2266502	RSMM9231746
479	31768	V.K.Dahuja	765179	0	263984	0	0	1029163	RSMM9231768
480	31792	SAG RAM PRAJAPAT	637037	0	371294	0	0	1008331	RSMM9231792
481	31803	SHANKER SINGH	1947927	0	434611	0	0	2382538	RSMM9231803
482	31814	BISHAN SINGH	1396083	0	349349	458224	0	2203656	RSMM9231814
483	31825	AMAR SINGH	1013706	0	311277	0	0	1324983	RSMM9231825
484	31836	THRESIAMMA P. J.	613044	0	279227	0	0	892271	RSMM9231836
485	31847	R.C.NANDAL	1504278	0	336463	540864	0	2381605	RSMM9231847
486	31915	SHANKER SINGH	1139910	0	404797	0	0	1544707	RSMM9231915
487	31926	C.P.KOTHARI	2444247	0	340453	1436662	0	4221362	RSMM9231926
488	31937	P.C.PUROHIT	3598017	0	323896	2612801	0	6534714	RSMM9231937
489	31950	SAVJI	529115	0	278470	0	0	807585	RSMM9231950
490	31961	R.K.GOSWAMI	117141	1343063	250447	0	0	1710651	RSMM9231961
491	31983	GANGA SAHAI REGAR	1267792	0	334675	0	0	1602467	RSMM9231983
492	31994	RUGH SINGH	1211569	0	366942	0	0	1578511	RSMM9231994
493	32016	G.S.KANAWAT	489148	0	261187	0	0	750335	RSMM9232016
494	32038	JAGDISH SINGH	210250	1290247	450089	0	0	1950586	RSMM9232038
495	32040	Sh. A.K.Bolia	1042403	0	271830	0	0	1314233	RSMM9232040
496	32062	C.P.SHARMA	1473128	0	340010	565790	0	2378928	RSMM9232062
497	32073	Sh. B.L. Kothari	2851065	373877	353687	1642893	0	5221522	RSMM9232073
498	32084	B.L. MOURYA	2561750	0	437380	652997	0	3652127	RSMM9232084
499	32095	Akshay Mathur	763626	0	229187	0	432198	1425011	RSMM9232095
500	32141	BHIKHA RAM	479184	0	285062	0	0	764246	RSMM9232141
501	32152	KHEMA RAM	1200418	0	419294	0	0	1619712	RSMM9232152
502	32185	R.C.PARMAR	983498	0	288070	314574	0	1586142	RSMM9232185
503	32207	N.L. MEENA	242715	0	276568	0	0	519283	RSMM9232207
504	32220	GOPAL LAL MEENA	2062263	0	460503	0	0	2522766	RSMM9232220

05/12

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
505	32231	UJIR KHAN	990182	0	328358	0	0	1318540	RSMM9232231
506	32242	GOVIND SINGH	873562	0	397146	0	0	1270708	RSMM9232242
507	32253	B.K.SHARMA	1417779	0	340972	652507	0	2411258	RSMM9232253
508	32275	S.S. KANGANI	2195499	0	425094	423431	0	3044024	RSMM9232275
509	32286	DEVA RAM MALI	680862	0	280416	0	0	961278	RSMM9232286
510	32297	M.D.VARANDANI	1912925	0	392428	0	0	2305353	RSMM9232297
511	32310	S.P. SHARMA	992799	0	308366	0	0	1301165	RSMM9232310
512	32321	S.C.Jain	984483	0	329652	452219	0	1766354	RSMM9232321
513	32332	O.P. GUPTA	1393816	0	355092	731469	0	2480377	RSMM9232332
514	32354	K.D.S RAJAWAT	1954404	0	328796	596454	0	2879654	RSMM9232354
515	32365	ANIL KUMAR SAXENA	1067866	556186	352402	704734	0	2681188	RSMM9232365
516	32376	KISHORE SINGH	188085	457726	248366	0	0	894177	RSMM9232376
517	32387	P.C.Sethi	1123464	0	317619	73151	0	1514234	RSMM9232387
518	32398	G.P. GUPTA	2368865	0	462717	0	0	2831582	RSMM9232398
519	32400	K.K.RANAWAT	1576493	251201	439597	548363	0	2815654	RSMM9232400
520	32411	R.P.MENDIRATTA	2669818	0	426792	1098469	0	4195079	RSMM9232411
521	32444	JOGENDRA SINGH	1242977	0	338317	884833	0	2466127	RSMM9232444
522	32466	M.K.SHARMA	795972	0	333385	95994	0	1225351	RSMM9232466
523	32488	KRISHNA MURARI	759024	245118	349750	0	0	1353892	RSMM9232488
524	32490	CHANDAN SINGH	1677557	0	434742	0	0	2112299	RSMM9232490
525	32512	V.K. PUROHIT	1219856	0	330123	616765	0	2166744	RSMM9232512
526	32523	RAKESH PAREEK	1675874	0	334965	681099	0	2691938	RSMM9232523
527	32534	V.K.PATEL	1635472	0	298295	143771	0	2077538	RSMM9232534
528	32545	J. C. PORWAL	4455207	0	399451	567175	0	5421833	RSMM9232545
529	32556	GULABLALAJI	937045	161052	396423	0	0	1494520	RSMM9232556
530	32580	ASHOK RAWAT	1287413	821476	501189	315418	0	2925496	RSMM9232580
531	32591	B.L.PAREEK	1090559	0	289097	0	0	1379656	RSMM9232591
532	32613	PHOOL CHAND JAT	576277	1690411	403892	0	0	2670580	RSMM9232613

JEB

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
533	32624	S.C. Mishra	715852	0	311723	235506	0	1263081	RSMM9232624
534	32646	R.P. GUJAR	730415	0	267473	0	0	997888	RSMM9232646
535	32657	P.R. CHOUDHARY	1206205	560274	357822	1118027	0	3242328	RSMM9232657
536	32668	MOHAN LAL	1092467	0	406647	0	0	1499114	RSMM9232668
537	32692	U.S Rajawat	1130266	0	350987	670583	0	2151836	RSMM9232692
538	32703	S.D.SHARMA	443347	0	285560	0	0	728907	RSMM9232703
539	32714	SARWAN KUMAR	803944	0	374972	0	0	1178916	RSMM9232714
540	32804	GYAN SINGH	1443180	0	413695	0	0	1856875	RSMM9232804
541	32815	SAGARA RAM	1019167	0	386465	0	0	1405632	RSMM9232815
542	32861	GOPI LAL/GANGA	506005	0	261708	0	0	767713	RSMM9232861
543	32905	KUKA/DEVA	978877	0	417790	0	0	1396667	RSMM9232905
544	32927	S.K. Chaturbedi	1372168	0	345905	496746	0	2214819	RSMM9232927
545	32938	SATYA NARAIN SAIN	920301	0	394881	0	0	1315182	RSMM9232938
546	32951	DEEN DAYAL MEENA	1243853	0	464478	0	0	1708331	RSMM9232951
547	32962	G.L. KHOWAL	1257356	211879	386723	0	0	1855958	RSMM9232962
548	32973	TEJ SINGH	1042780	0	425930	0	0	1468710	RSMM9232973
549	32995	GHEWAR RAM	1082132	0	398728	0	0	1480860	RSMM9232995
550	33028	Sh. Devilal/Ganga	630232	0	244818	0	0	875050	RSMM9233028
551	33052	KISHAN LAL PRAJAPAT	988070	0	421413	0	0	1409483	RSMM9233052
552	33074	RAMESHWER/ONKAR	1323814	0	468546	0	0	1792360	RSMM9233074
553	33096	BHERON SINGH	1399502	0	439056	0	0	1838558	RSMM9233096
554	33107	B.M. MALI	1414931	0	209193	0	0	1624124	RSMM9233107
555	33120	HAR SAHAI	1373526	1252541	460700	0	0	3086767	RSMM9233120
556	33164	MOOLA RAM	1240394	0	435633	0	0	1676027	RSMM9233164
557	33175	BABU SINGH	1575202	0	453404	0	0	2028606	RSMM9233175
558	33186	LADHU RAM	1189300	0	422966	0	0	1612266	RSMM9233186
559	33197	NARAINA RAM	1277204	0	435286	0	0	1712490	RSMM9233197
560	33208	SUMNESH SHARMA	2139122	0	337395	767663	0	3244180	RSMM9233208

2024

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
561	33232	P.R.GEHLLOT	2556864	0	481093	99268	0	3137225	RSMM9233232
562	33254	SH. B.M. UJJANIA	2082591	0	345376	1064023	0	3491990	RSMM9233254
563	33265	V.L.IYER	616818	0	244878	0	1180260	2041956	RSMM9233265
564	33276	S.C.GUPTA	1426343	0	323764	368663	0	2118770	RSMM9233276
565	33298	Sh. A.K.Sutradhar	2443065	0	450362	170940	0	3064367	RSMM9233298
566	33300	O.P.GAUR	1185820	0	288900	0	0	1474720	RSMM9233300
567	33311	R.C. SHARMA	939957	0	224933	0	0	1164890	RSMM9233311
568	33333	KAPIL CHOUDHARY	1479226	0	309755	346758	0	2135739	RSMM9233333
569	33344	PURAN SINGH	1075389	0	432651	0	0	1508040	RSMM9233344
570	33355	YUSUF ALI DAWOOD	1342768	314082	411593	0	0	2068443	RSMM9233355
571	33388	S.L.KUMAWAT	2386118	0	438071	380445	0	3204634	RSMM9233388
572	33401	V.S.SANKHALA	2535987	1338542	450314	1503305	0	5828148	RSMM9233401
573	33412	LALIT KUMAR OJHA	2117055	2092436	455122	1462352	0	6126965	RSMM9233412
574	33445	V.P.PALOD	4265516	0	464489	823026	0	5553031	RSMM9233445
575	33467	O.P.JOSHI	1368385	320645	494659	0	0	2183689	RSMM9233467
576	33478	B.S.JHALA	1431829	716494	407378	0	0	2555701	RSMM9233478
577	33480	SHIV KUMARI PASWAN	833429	0	335690	0	0	1169119	RSMM9233480
578	33513	KAN SINGH	416212	0	273396	0	0	689608	RSMM9233513
579	33524	O.P. SHARMA	598957	0	315380	0	0	914337	RSMM9233524
580	33568	KIREET ACHARYA	1941174	0	340684	1398798	0	3680656	RSMM9233568
581	33570	S.S.NATHAWAT	1911559	0	308118	434358	0	2654035	RSMM9233570
582	33581	R.K. VERMA	2366860	0	350623	1131135	0	3848618	RSMM9233581
583	33592	A.S. RATHORE	2119706	1556953	454207	526466	0	4657332	RSMM9233592
584	33603	K.C.GUPTA	2897955	0	380078	0	0	3278033	RSMM9233603
585	33614	Sh. V. Mehta	460314	0	244016	0	0	704330	RSMM9233614
586	33625	SURESH CHAND SUTHAR	1872650	0	447934	0	0	2320584	RSMM9233625
587	33636	G.S.MEENA	2952894	0	339267	1364066	0	4656227	RSMM9233636
588	33647	M.S.VYAS	3738441	0	476367	876123	0	5090931	RSMM9233647

302

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
589	33658	L.S.RATHORE	3539365	0	317740	2750398	0	6607503	RSMM9233658
590	33660	MURARI LAL SONI	1153168	0	374776	0	0	1527944	RSMM9233660
591	33693	MANJULA SHARMA	230741	864247	338395	0	0	1433383	RSMM9233693
592	33750	V.K.SHARMA	1470586	0	383772	0	0	1854358	RSMM9233750
593	33761	S.N. PAREEK	1992122	0	480641	0	0	2472763	RSMM9233761
594	33772	S.L.SHARMA	914650	0	315516	0	0	1230166	RSMM9233772
595	33783	H.K.GUPTA	3146956	0	530854	1688816	0	5366626	RSMM9233783
596	33794	R.R.PATEL	1571290	0	262571	0	0	1833861	RSMM9233794
597	33805	R.L. BHATNAGAR	2606325	0	330041	1393887	0	4330253	RSMM9233805
598	33816	A.K.TIWARI	566807	1129350	438394	0	0	2134551	RSMM9233816
599	33851	P.K. Joshi	2495035	0	498459	331025	0	3324519	RSMM9233851
600	33862	INDER SHARMA	2351013	0	464700	0	0	2815713	RSMM9233862
601	33873	ARUN KUMAR SINGH	4316490	0	464706	1102491	0	5883687	RSMM9233873
602	33917	Anil Mathur	449018	0	226821	0	0	675839	RSMM9233917
603	33928	GEHRI LAL MEHTA	2619197	0	397356	0	0	3016553	RSMM9233928
604	33963	PRAVIN BHARGAVA	2757336	539173	452125	339810	0	4088444	RSMM9233963
605	33974	K.S. RAMCHANDRA	1604749	0	356054	710204	0	2671007	RSMM9233974
606	33985	TAPAN KUMAR CHAKRAVARTY	1593917	0	417255	0	0	2011172	RSMM9233985
607	33996	Sh. M.K.Sharma	3944597	0	444884	653144	0	5042625	RSMM9233996
608	34007	R.C.PAREEK	2258755	0	505753	105380	0	2869888	RSMM9234007
609	34020	C.S.MATHUR	1183905	0	239406	0	0	1423311	RSMM9234020
610	34042	H.S.MEHRA	1843633	0	485086	61997	0	2390716	RSMM9234042
611	34053	S.K.SONI	421280	1431578	447319	0	0	2300177	RSMM9234053
612	34064	NAVEEN BHARGAV	1502864	0	491691	0	0	1994555	RSMM9234064
613	34086	S.N. DHAKA	3359324	0	498577	920342	0	4778243	RSMM9234086
614	34121	G.P. AGRAWAL	3294819	0	515031	144132	0	3953982	RSMM9234121
615	34132	Rashid Khan	1190283	0	401186	0	0	1591469	RSMM9234132
616	34165	D.R. AGARWAL	438368	3135023	386770	0	0	3960161	RSMM9234165

80/1

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
617	34176	B.L. MITTAL	3220467	0	415483	663767	0	4299717	RSMM9234176
618	34187	B.C. NAGORA	2964348	0	497342	325592	0	3787282	RSMM9234187
619	34211	SARVESH CHAND SAIN	1389364	0	493395	0	0	1882759	RSMM9234211
620	34233	P.K. JAIN	3406723	1409600	457075	1647988	0	6921386	RSMM9234233
621	34266	M.P.MANDIWAL	2414672	0	504621	238421	0	3157714	RSMM9234266
622	34277	K.K. MATHUR	2123552	445742	376619	0	0	2945913	RSMM9234277
623	34290	KALU RAM	2058480	183504	524788	67696	0	2834468	RSMM9234290
624	34301	J.M.CHOUDHARY	1667467	0	431046	0	0	2098513	RSMM9234301
625	34323	SURENDER SINGH	145395	0	171461	0	0	316856	RSMM9234323
626	34356	GANESH NARAIAAN	1380423	0	450935	0	0	1831358	RSMM9234356
627	34391	RAGHUBEER SINGH	678530	0	305114	0	0	983644	RSMM9234391
628	34413	SUJANA	832525	0	306681	0	0	1139206	RSMM9234413
629	34435	H.R.THALOD	1288043	0	441832	0	0	1729875	RSMM9234435
630	34446	Sh. R.Bhatti	3837927	0	496106	1507179	0	5841212	RSMM9234446
631	34470	AMRA RAM PRAJAPAT	5392045	0	524660	1364810	0	7281515	RSMM9234470
632	34514	SWAROOP SINGH	806343	0	379238	0	0	1185581	RSMM9234514
633	34536	B.L.CHAUDHARY	1426397	0	412901	0	0	1839298	RSMM9234536
634	34547	Sh. D.K. Jain	3666607	0	485786	746147	0	4898540	RSMM9234547
635	34571	A.K.SANKHLA	4272095	0	480466	769892	0	5522453	RSMM9234571
636	34615	THAKRA RAM	1275703	0	458675	0	0	1734378	RSMM9234615
637	34637	KEWAL RAM CHOUDHARY	4045463	0	470349	799281	0	5315093	RSMM9234637
638	34650	C.S.BENIWAL	4100484	0	476175	687752	0	5264411	RSMM9234650
639	34683	H.S.MEENA	3532227	0	416303	778493	0	4727023	RSMM9234683
640	34705	A.J.GODHARA	1664379	0	448422	0	0	2112801	RSMM9234705
641	34727	C.S.SHARMA	4588548	0	426937	1496808	0	6512293	RSMM9234727
642	34738	RAJAN KUTY P.JHON	275761	111665	220718	0	0	608144	RSMM9234738
643	34740	O.P.PUROHIT	879438	0	377744	0	0	1257182	RSMM9234740
644	34806	NARENDER SINGH	415873	1777107	491342	0	0	2684322	RSMM9234806

707

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
645	34828	BANNA RAM CHOUDHARY	2719881	0	491421	387025	0	3598327	RSMM9234828
646	34830	S.L.CHOUDHARY	3054361	0	498667	0	0	3553028	RSMM9234830
647	34885	RAKESH GOUTAM	960358	0	430611	0	0	1390969	RSMM9234885
648	34931	ANIL ROOP RAI	3153830	487710	465875	608605	0	4716020	RSMM9234931
649	34964	BABU LAL	4462596	0	485134	849731	0	5797461	RSMM9234964
650	34975	PRADEEP SHARMA	2687491	0	461857	98801	0	3248149	RSMM9234975
651	34986	R.C. THADA	969950	0	437680	0	0	1407630	RSMM9234986
652	34997	Sh. S.K.Mittal	4605002	0	424805	1157380	0	6187187	RSMM9234997
653	35010	MOHAN LAL CHOUDHARY	1171447	0	438439	0	0	1609886	RSMM9235010
654	35021	S.P. Singh	2569319	0	368133	0	0	2937452	RSMM9235021
655	35054	MURAD ALI	835796	0	320296	0	0	1156092	RSMM9235054
656	35076	HINDU SINGH	1202622	0	445989	0	0	1648611	RSMM9235076
657	35100	DISESH MATHUR	84880	98144	209806	0	0	392830	RSMM9235100
658	35122	SABAL SINGH BHATI	3804713	0	445721	870516	0	5120950	RSMM9235122
659	35177	RAM KARAN	962330	0	327493	0	0	1289823	RSMM9235177
660	35201	SANJAY KHANNA	4043190	0	504341	1793937	0	6341468	RSMM9235201
661	35256	DINESH CHOUDHARY	1575487	324142	511738	0	0	2411367	RSMM9235256
662	35267	D.L.SONI	3106864	0	519509	547473	0	4173846	RSMM9235267
663	35280	SARWAN SINGH CHOUHAN	326748	1824458	362351	251339	0	2764896	RSMM9235280
664	35346	AMRIT SINGH	1461002	0	415738	0	0	1876740	RSMM9235346
665	35414	RAJENDRA PRASHAD JOSHI	1866632	0	473612	0	0	2340244	RSMM9235414
666	35460	PABU RAM	872708	0	378221	0	0	1250929	RSMM9235460
667	35515	RAIMAL SINGH	207320	0	225619	0	0	432939	RSMM9235515
668	35526	V.K.GAUTAM	330105	1009733	429494	0	0	1769332	RSMM9235526
669	35627	MANGI LAL	334433	0	286425	0	0	620858	RSMM9235627
670	35638	MADAN LAL	1201741	0	493146	0	0	1694887	RSMM9235638
671	35673	P.C.DWIVEDI	1335251	563840	470375	0	0	2369466	RSMM9235673
672	35717	KISHOR CHHANGANI	1280222	0	446190	0	0	1726412	RSMM9235717

20/8

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
673	35730	TIKMA RAM	1244067	0	456277	0	0	1700344	RSMM9235730
674	35820	R.P.Sain	636903	0	307062	0	0	943965	RSMM9235820
675	35831	KAMAL KANT	1108168	0	437396	0	0	1545564	RSMM9235831
676	35910	GOVIND SINGH	963193	0	394094	0	0	1357287	RSMM9235910
677	35954	N.L.Gotwal	779295	0	399565	0	0	1178860	RSMM9235954
678	36077	HARI RAM CHOUDHARY	1804419	0	468852	0	0	2273271	RSMM9236077
679	36101	ATMA RAM SHARMA	297341	765123	367563	0	0	1430027	RSMM9236101
680	36123	PUSKER NARAYAN JOSHI	1695053	0	458136	0	0	2153189	RSMM9236123
681	36314	K.C. SHARMA	2453760	537424	464059	135428	0	3590671	RSMM9236314
682	36336	MURARILAL MEENA	750651	378126	474099	0	0	1602876	RSMM9236336
683	36358	M.S.MATHUR	3116166	0	463841	420258	0	4000265	RSMM9236358
684	36393	A.K. SINGH	1053172	0	341407	0	0	1394579	RSMM9236393
685	36448	PRABHA DEVI SHARMA	1027654	0	368352	0	0	1396006	RSMM9236448
686	36505	SUMER SINGH YADAV	896183	0	383304	0	0	1279487	RSMM9236505
687	36584	R.K.kain	2947976	0	504493	516882	0	3969351	RSMM9236584
688	36595	HEERA LAL MEENA	4392391	0	517846	1371679	0	6281916	RSMM9236595
689	36606	R.C.JATAV	2546771	1530630	509598	1328442	0	5915441	RSMM9236606
690	36641	P.P. MATHUR	3409226	0	469111	663767	0	4542104	RSMM9236641
691	36663	SARVAN RAM	1277700	0	360178	0	0	1637878	RSMM9236663
692	36674	ANOOP RAM	1380484	0	481315	0	0	1861799	RSMM9236674
693	36685	O.P. JOSHI	2249650	0	480337	0	0	2729987	RSMM9236685
694	36707	A.C.GARWAL	3704002	0	510137	1328442	0	5542581	RSMM9236707
695	36764	K.G.RAJPUROHIT	787583	0	303581	0	0	1091164	RSMM9236764
696	36775	NARENDRA KAUR	811255	0	303265	0	0	1114520	RSMM9236775
697	36786	TULSI NARYANI	554292	237099	301360	0	0	1092751	RSMM9236786
698	36808	A.K. JAIN	830946	0	303864	0	0	1134810	RSMM9236808
699	36821	R.K.SHARMA	786563	0	306472	0	0	1093035	RSMM9236821
700	36832	R.K. VERMA	1064587	0	335979	466549	0	1867115	RSMM9236832

2/10

Total Demand to be deposited in the following Bank Account:

Bank Name : HDFC Bank Ltd.

Branch Name : Chetak Circle, Udaipur

Beneficiary Name : RSMML OPS

IFSC Code : HDFC0000119

Account Number : Mentioned against respective Employee Code & Name

S.No.	Employee Code	Employee Name	Employer Contribution with Interest	NRF with Interest	EPS Pension Contribution with Interest	Difference Gratuity with Interest	Ex gratia with Interest	Total Demand	Account No.
701	36911	G.N.ARYA	2995525	849370	497226	981826	0	5323947	RSMM9236911
702	36944	BALA RAM CHOUDHARY	3612749	0	496581	775920	0	4885250	RSMM9236944
703	36966	DEVELI/SANKAR	774755	0	366748	0	0	1141503	RSMM9236966
704	36990	ROHITESH DHANAK	1760792	0	451408	0	0	2212200	RSMM9236990
705	37012	R.K. VAISHNAV	731456	0	340688	0	0	1072144	RSMM9237012
706	37045	C.M.MEHRA	1492669	0	471014	0	0	1963683	RSMM9237045
707	37091	S.S.YADAV	2591628	577699	517894	730340	0	4417561	RSMM9237091
708	37113	R.S.SHARMA	132271	0	189143	0	0	321414	RSMM9237113
709	37146	MADHU RAJ SINGH	2393879	0	516147	88346	0	2998372	RSMM9237146
710	37203	T.L.MISHRA	2196878	0	356134	794756	0	3347768	RSMM9237203
711	37517	HARSINGHA RAM	1779435	187188	430813	45817	0	2443253	RSMM9237517



(Name of Sign)

Dy. General Manager (P & A)
Rajasthan P.W. Dept. & P.W. Dept.
4, Bapu Marg, Udaipur-315004

Agenda Item No. 16**Implementation of Old Pension Scheme (OPS)
for RSMML Employees**


1. It is for kind information of the Board that at present the employees of Company are covered under Employees Provident Fund Act 1952, wherein 12% of salary (Basic+DA) is contributed by Company as employer contribution to the EPFO. As on date the "Pension Scheme" as available to State employees is not available to employees of Company.
2. In view of announcement made in State Budget 2023-24, Finance Department, GoR vide its order dated 21/02/2023 has provided an opportunity to avail the Old Pension Scheme (OPS) to the retired employees and subsequently issued detailed guidelines vide order dated 20/04/2023 for implementation of OPS for the employees of state public sector undertakings where employees are covered under CPF/EPF for pension (**Annexure-A**).
3. The Bureau of Public Enterprises, GoR vide circular no F2(4)BPE/89/pt.2/616 dated 24.04.2023 also endorsed to all PSUs, to ensure the guidelines issued by the Finance Department, GoR with regard to Old Pension Scheme.
4. As per the para 2.3 of the guidelines, for implementation of OPS, the Company has to create separate Pension Trust Fund under GPF linked Pension Scheme. The fund of the Pension Trust shall be required to be deposited with PD Account of GoR.
5. Necessary Pension Regulations are also required to be framed and adopted by the Company for OPS. It is for kind information of Board that at present Company has not formulated any Pension Regulation.
6. The guidelines provides that after formation of Pension Trust, it shall receive initial contribution from the accumulated balance of Employer contribution with interest and subsequently monthly Employer contribution of serving employees shall also be transferred to the Trust.
7. In case of retired employees, the Trust shall receive the employer contribution paid on retirement alongwith interest @12% till such amount is received in Trust.
8. Further as per para 10.3 of the guidelines of FD, the all Pension benefits are to be paid from Pension Trust and no financial support shall be granted by GoR.
9. It is for kind information of Board, that as on date there is no assessment of Pension outgo viz-a-viz inflow of employers contribution in case of serving as well as retired employees. As per broad preliminary estimates, the employers' contributions (12% of Basic+DA) shall not be able to generate



Agenda Item No. 16**Implementation of Old Pension Scheme (OPS)
for RSMML Employees**

the necessary Pension outgo and Company shall be required to make additional contribution to the Pension Trust in OPS as to be adopted by Company.

10. In view of above, the Board is kindly requested to consider the following aspects:
- a) Adopting OPS scheme for its employees as per FD notification.
 - b) Formation of Pension Regulations and Trust.
 - c) Seeking approval of EPFO to transfer the balance of contribution to GPF-SAB/Pension Fund after adoption of OPS.
 - d) Carry out the required actuarial valuation for assessment of additional liability under the OPS.
11. The Board is also requested to authorise the Managing Director to issue necessary guidelines/orders to implement the Old Pension Scheme.


(Sandesh Nayak)
Managing Director



**416th
Board
Meeting**

Extract of minutes of the 416th meeting of the Board of Directors of Rajasthan State Mines & Minerals Limited held on Monday, 10th July, 2023 at 01:00 PM in the chamber of the Chief Secretary, GoR and Chairperson-RSMML, Secretariat, Jaipur.

Agenda Item no 16: Implementation of Old Pension Scheme for serving/retired employees of the Company

In view of announcement made in the State Budget 2023-24, the Finance Department, GoR has issued detailed guidelines vide order no P.13(12)vitt(Rules)/2021 dated 20/04/2023 and amended order no P.13(12)Vitt(Rules)/2021 dated 06/07/2023 for implementation of OPS for the employees of state public sector undertakings where employees are covered under CPF/EPF.

The Board was informed that the GPF linked Old Pension Scheme (OPS) is proposed to be implemented in the Company in line with the various orders/circulars issued by the Finance Department, GoR and Bureau of Public Enterprises, GoR.

The Board was briefed that as per guidelines issued by the Finance Department, GoR / Bureau of Public Enterprises, GoR, the Company has to frame/adopt pension rules/regulations. The matter regarding commutation of pension was also deliberated. Looking to the immediate financial implication, the Board directed not to include the provisions of commutation of pension in the pension rules to be framed/adopted.

Further, the contribution of provident fund shall be transferred in the pension fund/GPF-SAB. The entire amount of pension fund has to maintained in the PD account at the State Government level. This requires approval of Employee Provident Fund Organization (EPFO). Further, the option to opt OPS will also be invited from serving and retired employees of the Company.

The Board was also informed that the Pension Fund will be created at RSMML level. Further, as per Indian Accounting Standards (IND-AS), it requires actuarial valuation based on option received from serving and retired employees to opt old pension scheme and booking of the liability in the books of accounts of the Company.

Thereafter, it was:


“RESOLVED THAT the approval of the Board be and is hereby accorded to implement the Old Pension Scheme for serving/retired employees of the Company in line with the orders/circulars issued by the Finance Department, GoR / Bureau of Public Enterprises, GoR without the provisions of commutation of pension.”

“RESOLVED FURTHER THAT the approval of the Board be and is hereby accorded to formation of pension rules/regulations in order to implement the Old Pension Scheme in the Company.”



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

For & Behalf of
Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.


(Rajendr Rao)
Company Secretary
ACS 14646

**416th
Board
Meeting**

Extract of minutes of the 416th meeting of the Board of Directors of Rajasthan State Mines & Minerals Limited held on Monday, 10th July, 2023 at 01:00 PM in the chamber of the Chief Secretary, GoR and Chairperson-RSMML, Secretariat, Jaipur.


“RESOLVED FURTHER THAT the approval of the Board be and is hereby accorded to seek approval of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) to transfer the balance of contribution to GPF-SAB/Pension Fund.”

“RESOLVED FURTHER THAT the approval of the Board be and is hereby accorded to invite option to opt Old Pension Scheme from existing and retired employees of the Company in this regard.”

“RESOLVED FURTHER THAT the approval of the Board be and is hereby accorded to carry out the required actuarial valuation for assessment of additional liability under the Old Pension Scheme.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Managing Director of the Company be and is hereby authorised to take necessary action and issue necessary guidelines/orders to implement the Old Pension Scheme.”

For & Behalf of
Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.


(Rajendr Rao)
Company Secretary
ACS 14646



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 20 APR 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में जिन संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी, उन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प देने हेतु अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21-2-2023 जारी की जा चुकी है। इस अशा.टीप में उल्लेखित **Contributory Pension Fund** को **Contributory Provident Fund** पढ़ा जाये।

उक्त अशा.टीप की निरन्तरता में राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों पर जहां सी.पी.एफ/ई.पी.एफ. लागू हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन -

- 1.1 राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 1.2 राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 1.3 राजकीय उपक्रम विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी।
- 1.4 यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो, अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करेगी।
- 1.5 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से EPF के सक्षम स्तर को अनुमोदन हेतु भिजवाया जायेगा। जिन कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे दिया है तथा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई भी कटौती CPF/EPF योजना के अन्तर्गत नहीं की जायेगी।

2. GPF linked Pension Scheme तथा उसके अन्तर्गत पेंशन निधि -

- 2.1 सभी संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू की जायेगी।
- 2.2 जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked Pension Scheme लागू है तथा पेंशन निधि गठित है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जाये। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है, तो उसे राज्य सरकार के पी.डी. खाते में संधारित किया जायेगा।

- 2.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने हेतु विनियम बनाये जा कर पेंशन निधि का गठन किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जायेगी।
- 2.4 जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन एवं संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति) को सभी संस्थाओं हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा तदनुसार अधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन एवं संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

3. GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते –

- 3.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स-ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे हैं।
- 3.2 भविष्य में GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत शासित होंगे तथा इस हेतु जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं में जी.पी.एफ से सम्बन्धित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराने का प्रावधान किया जायेगा।
- 3.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाये जा कर इस हेतु प्रावधान किया जायेगा।
- 3.4 सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं निर्धारित की जायेगी।

4. पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प –

- 4.1 संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियाँ तथा GPF linked Pension Scheme संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं सेवारत कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30-6-2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- 4.2 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF/EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।
- 4.3 सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि—

- 5.1 सेवानिवृत्त कार्मिक को CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित संस्था की पेंशन निधि में उसकी प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक

②

देय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 30-6-2023 तक एक मुश्त जमा करानी होगी।

- 5.2 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund या Employee Pension Scheme में जमा थी और उसका भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिक ने प्राप्त किया है तो, ऐसी राशि को सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.3 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि से EPF के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान हो रहा है तो ऐसी राशि को भी सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.4 यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान सी.पी.एफ./ई.पी.एफ से नियोक्ता अंशदान की राशि का अन्तिम प्रत्याहरण किया है तो, प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.5 सेवानिवृत्त कार्मिक को नियोक्ता अंशदान की भुगतान की गई राशि की वास्तविक तिथि से ब्याज की गणना की जायेगी। यदि नियोक्ता अंशदान की कुछ राशि EPF के अन्तर्गत जमा कराई गई है तो उस राशि पर ब्याज की गणना सेवानिवृत्ति तिथि से की जायेगी। ब्याज की गणना पेंशन निधि में वास्तविक रूप से राशि जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिये की जायेगी। यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के अन्तर्गत पेंशन विनियम में निर्धारित परिलाभ से अधिक परिलाभ प्राप्त किया हो तो उस अन्तर राशि को भी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन निधि में जमा कराना होगा।
- 5.6 यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदानुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अन्तर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के पेंशन निधि में जमा करानी होगी।
- 5.7 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के जमा कराने पर ही पुनर्विकल्प/विकल्प स्वीकार किया जायेगा।
- 5.8 जिन संस्थाओं में कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को स्वीकार करने की स्थिति में ex-gratia या अन्य रूप में अतिरिक्त राशि दी गई थी, उन कार्मिकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिये जाने की स्थिति में प्राप्त की गई ऐसी समस्त अतिरिक्त राशि में से आयकर की भुगतान की गई राशि को घटाकर शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि को भी उस राशि को प्राप्त करने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से पेंशन निधि में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- 5.9 जिन संस्थाओं में कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था से प्राप्त नहीं की, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन निधि में संस्था द्वारा उन कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर सीधे ही हस्तान्तरित की जायेगी।
- 5.10 जिन संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना तथा सी.पी.एफ. दोनों लागू थे, परन्तु CPF का विकल्प देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान था, ऐसे मामलों में सी.पी.एफ के अन्तर्गत प्राप्त की गई 2 वर्ष की सेवा के वेतन भत्तों की राशि एक्स-ग्रेसिया के रूप में मानी जाकर बिन्दु संख्या 5.8 के अनुसार जमा की जायेगी।
- 5.11 पारिवारिक पेंशन हेतु GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

6. सेवानिवृत्त कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश –

- 6.1 सेवानिवृत्त कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। उसका निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।
- 6.2 जो कार्मिक दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, उसका भी निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी.एफ./ई.पी.एफ के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।

7. सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी निर्देश –

- 7.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के सम्बन्ध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी।
- 7.2 पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. सेवारत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा पेंशन निधि में राशि जमा कराने के सम्बन्ध में निर्देश –

- 8.1 सेवारत कार्मिक जिनकी संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी अथवा सिर्फ CPF लागू है या सिर्फ EPF लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प/विकल्प दिया जा सकेगा।
- 8.2 सेवारत कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF/EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।
- 8.3 सेवारत कार्मिकों की CPF की जो राशि मय ब्याज के संस्था में या संस्था द्वारा खोले गये पी.डी. खाते या बैंक खाते में जमा है, वह समस्त नियोक्ता अंशदान राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित पेंशन निधि के पी.डी. खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
- 8.4 CPF की कटौती में से जो राशि EPF की पेंशन निधि के अतिरिक्त अन्य योजना में जमा कराई गई है अर्थात् जो संस्था स्तर पर जमा नहीं होकर अन्यत्र जमा है, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के सेवारत कार्मिक द्वारा स्वयं के स्तर से संबंधित संस्था की नव गठित पेंशन निधि में एक मुश्त जमा कराई जायेगी।
- 8.5 सेवारत कार्मिकों की यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund में जमा थी और वह पेंशन निधि में हस्तांतरित नहीं हो सकती हो तो ऐसी समस्त राशि सेवारत कार्मिक को स्वयं मय अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 8.6 जिन संस्थाओं को EPF से छूट प्राप्त है तथा अपने स्तर पर ट्रस्ट गठित किये हुए हैं और नियोक्ता अंशदान की राशि संस्था के पास है तो ऐसी समस्त राशि सक्षम अनुमोदन से संबंधित संस्था द्वारा पेंशन निधि में उस पर अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 8.7 यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संस्थाओं के कार्यरत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि EPF के अन्तर्गत जमा है तथा दिनांक 30-6-2023 तक प्राप्त नहीं होती है तो

ऐसी समस्त नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज के कार्मिक को स्वयं पेंशन निधि में जमा करानी होगी। उक्त जमा राशि को कार्मिक भविष्य में संबंधित योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकेंगे।

- 8.8 सेवारत कार्मिक की जो राशि ई.पी.एफ. की पेंशन निधि हेतु जमा की गई है, वह समस्त राशि उसके जमा होने की तिथि के आधार पर कार्मिक को स्वयं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से जमा करानी होगी।
- 8.9 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान की राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि में जमा की जायेगी। जिन संस्थाओं में पूर्व में यह दर कम थी वह सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त इस दर को 12 प्रतिशत कर सकेंगे।
- 8.10 सेवारत कार्मिक जो राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में विपरीत प्रतिनियुक्ति/पदस्थापित है, तो उन्हें भी अपने पैतृक संस्था को ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।
- 8.11 सेवारत कार्मिक की जो सेवा पेंशन योग्य है किन्तु किसी अवधि का वेतन किसी भी कारण से नहीं मिला हो तो ऐसे मामले में इस अवधि से पूर्व के वेतन के आधार पर देय कटौती कार्मिक को स्वयं मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा करानी होगी। यदि भविष्य में इस अवधि का निर्णय हो जाता है तो कार्मिक अपनी संस्था से इस राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सकेगा।

9. सेवारत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश –

- 9.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को महंगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स-ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत उल्लेखित है। अतः भविष्य में सेवारत कार्मिक इन्हीं नियमों के अन्तर्गत शासित होंगे।
- 9.2 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की राशि जो विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा है, उस राशि को मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 9.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की GPF linked Pension Scheme के विनियम लागू होने के उपरान्त जो राशि विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा होगी, उसे मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 9.4 सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे हैं। इन्हीं खातों में दिनांक 01.04.2023 से GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत जी.पी.एफ. विनियम में निर्धारित कटौती जो नियोक्ता अंशदान के बराबर है, को भी "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा किया जायेगा।
- 9.5 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु कार्मिक की अंशदान राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में प्रतिमाह जमा होगी।

10. पेंशन भुगतान --

- 10.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी। जो कार्मिक दिनांक 01.04.2023 के उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे, उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियमानुसार देय होगी।
- 10.2 पेंशन निधि के प्रारम्भिक गठन हेतु संस्था स्तर से राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एकमुश्त जमा की जा सकेगी।
- 10.3 पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 10.4 राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

11. अन्य निर्देश --

- 11.1 पुनर्विकल्प/विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक नियोक्ता अंशदान की राशि एवं उस पर उपरोक्तानुसार देय ब्याज की गणना एवं उसकी शुद्धता का समस्त दायित्व संबंधित संस्था सहित प्रशासनिक विभाग का भी होगा।
- 11.2 सेवानिवृत्त कार्मिक का CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार होने पर तथा राशि जमा होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी।
- 11.3 यदि किसी संस्था द्वारा नियोक्ता अंशदान के रूप में देय EPF की कटौती राशि समय पर EPF में जमा नहीं कराई गई है तो संस्था विकल्प प्रस्तुत करने वाले तथा तदनुसार राशि मय ब्याज के जमा कराने वाले कार्मिकों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ से राज्य सरकार एवं संस्था के निर्णय से अवगत कराते हुए EFPO को सूचित करेगी तथा तदुपरान्त इस देय राशि को भी पेंशन निधि में हस्तांतरित करेगी।
- 11.4 यदि संस्था द्वारा CPF की राशि के नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधित खाते में जमा नहीं कराई है तो वह अब उक्त राशि को पेंशन निधि में जमा करायेगी।
- 11.5 पुरानी पेंशन योजना के संबंध में पेंशनरों/कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालयों में जो वाद दायर किये हुए हैं, उन न्यायिक वादों में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त तथा संस्था में इसे अंगीकार करने के उपरान्त सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की प्रार्थना से संबंधित बिन्दु पर संस्था द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर राजकीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। जो प्रकरण माननीय न्यायालयों से निर्णित / निस्तारित हो चुके हैं, उनमें भी इन आदेशों में निर्धारित दिशा-निर्देशों की सीमा तथा शर्तों पर और उसे सक्षम स्तर से एवं संबंधित कार्मिक / सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सहमत होने पर संबंधित कार्मिकों / सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।
- 11.6 पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा राशि पेंशन निधि में जमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई है। पेंशन विकल्प प्रस्तुत करते समय ही संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक/ सेवारत कार्मिक से अथवा संस्था के स्वयं के स्तर

2


से जमा की जाने वाली राशि एवं उस पर देय ब्याज की सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ले।

- 11.7 समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षित है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराया जा सके। संस्था से भी अपेक्षित है कि समस्त कार्मिक/ सेवानिवृत्त कार्मिकों का CPF/EPF से संबंधित समस्त रिकार्ड अतिशीघ्र संधारित कर लिया जाये ताकि विकल्प दिये जाने की स्थिति में राशि एवं उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके और राशि पेंशन निधि में समयबद्ध रूप से हस्तांतरित/जमा की जा सके।

उपरोक्त के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा बल्कि जमा राशि की जांच होने तथा तदनुसार निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकार करने पर नियमानुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी। यदि दिनांक 30.06.2023 को निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

Encl : Option Form

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोहित गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (गुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


20/4/23
(एस.जे. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 2 / 2023)

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization

A. To be filled by employees who were in service/retired and **also eligible family member of deceased employee** who were earlier governed by **CPF / EPF** for switching over to Old Pension Scheme.

1. I, (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as or New Pension Regulation

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name : _____

2. Designation : _____

3. Department/Office : _____

4. CPF/EPF No. (If any): _____

5. Employee ID /GPF SAB No. _____

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date

Name in Full


Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation

Continued


Ministry of Finance
Department of Pension and Employee Welfare
New Pension Regulation - II

B. To be filled by office :

Received from(Name & designation)
regarding option forPension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs.....

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs.....

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs.....

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.


3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on

As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. is accepted for pension / family pension from (date)

Dated :

Time :

*Signature with Seal
of the designation officer of the organization*


संयुक्त शासन सचिव-II

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 06 JUL 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) एवं आदेश दिनांक 17.06.2023।

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 17.06.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों हेतु सीपीएफ के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प देने हेतु दी गई सहमति F.No.11/5/2001-IR दिनांक 26-6-2020 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18-9-2020 के आलोक में तथा वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के संबंध में :

- (i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (iii) जिन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी भी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है, तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी।

21/0

- (iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।
- (v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड / स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS, 1995 आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।
- (vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. सेवारत कार्मिक के संबंध में :-

- (i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी; परन्तु यदि यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/ मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- (ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी; परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

3. अन्य दिशा निर्देश :-


- (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न-भिन्न हैं और पेंशन परिलाभों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लें।
- (ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

Handwritten signature

जिन संस्थाओं ने संबंधित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये हैं या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 तक बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(के.के. पाठक)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर



(एस.जे. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)



Rajasthan State Mines & Minerals Limited

(A Government of Rajasthan Enterprise)

Corporate Office : 4, Meera Marg, Udaipur - 313 001

Registered Office : C-89-90, Lal Kothi Scheme, Jaipur, CIN-U14109RJ194955CO00505

Phone : 0294-2428763/64/65/66/67, Fax : 0294-2428770/2428739

e-mail : info.rsmml@rajasthan.gov.in, Website: www.rsmm.com

क्रमांक:- आरएसएमएमएल/सीओ/पर्स/19(38)/2023/192

दिनांक:-/7.07.2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 151 पर कार्मिक कल्याण के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए की गई बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में वित्त विभाग (नियम अनुभाग) द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना लागू करने हेतु दिशा-निर्देश आदेश संख्या प. 13(12)वित्त नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 के द्वारा जारी किये गये है। राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा आदेश संख्या एफ.2(4)बीपीई/89/पार्ट-2/616 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा आदेश दिनांक 20.04.2023 की पालना करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 20.04.2023 की पालनार्थ एवं वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त नियम/2021 दिनांक 17.06.2023 के क्रम में निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 10.07.2023 में लिये गये निर्णय अनुसार आरएसएमएमएल के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों से यह अपेक्षित है कि वे दिनांक 25.07.2023 तक पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत करें, तथा साथ ही दिनांक 31.07.2023 तक आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 06.07.2023 के प्रावधानानुसार नियोक्ता अंशदान की राशि मय ब्याज एक मुश्त जमा करवाये। इसके अभाव में यह माना जायेगा कि कार्मिक भविष्य निधि संगठन का सदस्य ही बने रहना चाहता है।

पुरानी पेंशन योजना के संबंध में अन्य दिशा-निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 दिनांक 17.06.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)/वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 06.07.2023 के अनुसार रहेंगे।

संलग्न:- वित्त द्वारा जारी आदेश संख्या प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 20.04.2023, आदेश क्रमांक प.13(12) वित्त (नियम)/2021 जयपुर दिनांक 17.06.2023, आदेश क्रमांक प.13(12)/वित्त(नियम)/2021 जयपुर दिनांक 06.07.2023 एवं विकल्प पत्र।

(संदेश नायक)
प्रबन्ध निदेशक


प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, आरएसएमएमएल, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
4. कार्यकारी निदेशक (प्रशा.), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. समूह महाप्रबन्धक-लाईमस्टोन/प्रमुख एवं प्रभारी-रॉक फॉस्फेट/जिप्सम/लिग्नाईट।
6. समस्त विभागाध्यक्ष-कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. उप महाप्रबन्धक (आईटी), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने के इच्छुक समस्त सेवानिवृत्त एवं सेवारत आरएसएमएमएल कार्मिकों से अनुरोध है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 25.07.2023 तक एवं नियोक्ता अंशदान की राशि मय ब्याज एक मुश्त दिनांक 31.07.2023 तक मुख्यालय के पेंशन प्रकोष्ठ में जमा करना सुनिश्चित करें। इसके अभाव में यह माना जावेगा कि आप पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है, एवं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सदस्य ही बने रहना चाहते है।
9. पंजीकृत कार्यालय, जयपुर।
10. दिल्ली/कोलकत्ता कार्यालय।
11. समस्त सूचना पट्ट।

Signature valid

Digitally signed by Sandesh Nayak
Designation: प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन)
Date: 2023.07.17 17:39:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4300028


(Dr. Tary Surana)
ED (Admn)



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 20 APR 2022

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों / स्वायत्तशासी निकायों / विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF लागू है, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/ विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में जिन संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी, उन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीपीएफ के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प देने हेतु अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21-2-2023 जारी की जा चुकी है। इस अशा.टीप में उल्लेखित **Contributory Pension Fund** को **Contributory Provident Fund** पढ़ा जाये।

उक्त अशा.टीप की निरन्तरता में राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/ विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं के सेवानिवृत्त तथा सेवारत कार्मिकों पर जहां सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. लागू हैं, वहां पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. प्रशासनिक स्वीकृतियाँ एवं अनुमोदन -

- 1.1 राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उपक्रमों आदि के संबंध में दिशा-निर्देश राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 1.2 राजकीय उपक्रमों के क्षेत्राधिकार में नहीं आने वाले संस्थाओं के लिये दिशा-निर्देश संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जायेंगे।
- 1.3 राजकीय उपक्रम विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने के उपरान्त संबंधित संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर इसे अंगीकृत करने की कार्यवाही करेगी।
- 1.4 यदि संस्था को संबंधित प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता हो तो, अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात् संस्था इसे अंगीकार करने की कार्यवाही करेगी।
- 1.5 संबंधित संस्था राज्य सरकार के पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश तथा इसे संबंधित संस्था में अंगीकार करने के निर्णय से EPF के सक्षम स्तर को अनुमोदन हेतु भिजवाया जायेगा। जिन कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दे दिया है तथा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी नियोक्ता अंशदान के रूप में कोई भी कटौती CPF/EPF योजना के अन्तर्गत नहीं की जायेगी।

2. GPF linked Pension Scheme तथा उसके अन्तर्गत पेंशन निधि -

- 2.1 सभी संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू की जायेगी।
- 2.2 जिन संस्थाओं में पूर्व से ही GPF linked Pension Scheme लागू है तथा पेंशन निधि गठित है, उन्हें नवीन पेंशन निधि गठित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जाये। यदि पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते के अलावा अन्यत्र संधारित है, तो उसे राज्य सरकार के पी.डी. खाते में संधारित किया जायेगा।



- 2.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा पुरानी पेंशन योजना हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने हेतु विनियम बनाये जा कर पेंशन निधि का गठन किया जायेगा तथा इन संस्थाओं के स्तर से भी पेंशन निधि राज्य सरकार के पी.डी. खाते में ही संधारित की जायेगी।
- 2.4 जिन संस्थाओं में कार्मिकों की संख्या बहुत कम है जिसके कारण अलग से पेंशन निधि का गठन एवं संचालन करना व्यवहारिक न हो, उन संस्थाओं के संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर से किसी एक संस्था (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की भांति) को सभी संस्थाओं हेतु GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा तदानुसार अधिकृत संस्था के स्तर पर पेंशन निधि के गठन एवं संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

3. GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते -

- 3.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को मंहगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स-ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे हैं।
- 3.2 भविष्य में GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत कार्मिकों के जी.पी.एफ. खाते "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत शासित होंगे तथा इस हेतु जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं में जी.पी.एफ. से सम्बन्धित विनियमों में आवश्यक संशोधन किया जाकर कार्मिक अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा कराने का प्रावधान किया जायेगा।
- 3.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उनके द्वारा GPF linked Pension Scheme लागू करने तथा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में राशि जमा कराने हेतु विनियम बनाये जा कर इस हेतु प्रावधान किया जायेगा।
- 3.4 सामान्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में कार्मिकों की राशि जमा करने हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं निर्धारित की जायेगी।

4. पुरानी पेंशन योजना हेतु विकल्प -

- 4.1 संस्था के स्तर पर आवश्यक स्वीकृतियाँ तथा GPF linked Pension Scheme संशोधनों सहित लागू होने पर सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं सेवारत कार्मिकों से पुरानी पेंशन योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30-6-2023 तक पुरानी पेंशन योजना के पुनर्विकल्प/विकल्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- 4.2. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF/EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।
- 4.3 सेवा से निष्कासित, सेवा से हटाये गये, सेवा से त्यागपत्र देने वाले कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना के विकल्प की सुविधा नहीं होगी।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने के साथ जमा कराये जाने वाली राशि-

- 5.1 सेवानिवृत्त कार्मिक को CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित संस्था की पेंशन निधि में उसकी प्राप्ति की तिथि से पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक

②

देय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिनांक 30-6-2023 तक एक मुश्त जमा करानी होगी।

- 5.2 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund या Employee Pension Scheme में जमा थी और उसका भुगतान सेवानिवृत्त कार्मिक ने प्राप्त किया है तो, ऐसी राशि को सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा उसकी प्राप्ति की तिथि से संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.3 यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि से EPF के अन्तर्गत पेंशन का भुगतान हो रहा है तो ऐसी राशि को भी सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा संबंधित संस्था की पेंशन निधि में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.4 यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा कार्यरत अवधि के दौरान सी.पी.एफ./ई.पी.एफ से नियोक्ता अंशदान की राशि का अन्तिम प्रत्याहरण किया है तो, प्रत्याहरण की तिथि से पेंशन निधि में राशि जमा कराने की तिथि तक आहरित की गई समस्त राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 5.5 सेवानिवृत्त कार्मिक को नियोक्ता अंशदान की भुगतान की गई राशि की वास्तविक तिथि से ब्याज की गणना की जायेगी। यदि नियोक्ता अंशदान की कुछ राशि EPF के अन्तर्गत जमा कराई गई है तो उस राशि पर ब्याज की गणना सेवानिवृत्ति तिथि से की जायेगी। ब्याज की गणना पेंशन निधि में वास्तविक रूप से राशि जमा कराने की तिथि तक की अवधि के लिये की जायेगी। यदि सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के अन्तर्गत पेंशन विनियम में निर्धारित परिलाभ से अधिक परिलाभ प्राप्त किया हो तो उस अन्तर राशि को भी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन निधि में जमा कराना होगा।
- 5.6 यदि वेतन में संशोधन के कारण प्राप्त की गई राशि में संशोधन होता है तो तदानुसार नियोक्ता अंशदान की कटौती की अन्तर राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के पेंशन निधि में जमा करानी होगी।
- 5.7 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के जमा कराने पर ही पुनर्विकल्प/विकल्प स्वीकार किया जायेगा।
- 5.8 जिन संस्थाओं में कार्मिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया गया था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प को स्वीकार करने की स्थिति में ex-gratia या अन्य रूप में अतिरिक्त राशि दी गई थी, उन कार्मिकों द्वारा पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिये जाने की स्थिति में प्राप्त की गई ऐसी समस्त अतिरिक्त राशि में से आयकर की भुगतान की गई राशि को घटाकर शेष राशि की 50 प्रतिशत राशि को भी उस राशि को प्राप्त करने की तिथि से जमा कराने की तिथि तक 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से पेंशन निधि में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- 5.9 जिन संस्थाओं में कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था से प्राप्त नहीं की, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन निधि में संस्था द्वारा उन कार्मिकों द्वारा पेंशन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने पर सीधे ही हस्तान्तरित की जायेंगी।
- 5.10 जिन संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना तथा सी.पी.एफ. दोनों लागू थे, परन्तु CPF का विकल्प देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान था, ऐसे मामलों में सी.पी.एफ के अन्तर्गत प्राप्त की गई 2 वर्ष की सेवा के वेतन भत्तों की राशि एक्स-ग्रेसिया के रूप में मानी जाकर बिन्दु संख्या 5.8 के अनुसार जमा की जायेंगी।
- 5.11 पारिवारिक पेंशन हेतु GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत पेंशन विनियमों में मृतक कार्मिक के पात्र आश्रित भी विकल्प परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(P)

6. सेवानिवृत्त कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश -

- 6.1 सेवानिवृत्त कार्मिकों से कार्मिक के अंशदान की कोई राशि "सामान्य प्रावधानी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। उसका निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।
- 6.2 जो कार्मिक दिनांक 30.06.2023 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके मामलों में कार्मिक के अंशदान की राशि "सामान्य प्रावधानी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, उसका भी निस्तारण संस्था सम्बन्धित सी.पी.एफ./ई.पी.एफ. के प्रावधानों के अन्तर्गत करेगी।

7. सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी निर्देश -

- 7.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना हेतु प्रस्तुत विकल्प के सम्बन्ध में राशि जमा होने तथा विकल्प स्वीकार होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी।
- 7.2 पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त कार्मिक के सेवानिवृत्ति के समय प्रचलित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

8. सेवारत कार्मिक द्वारा पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा पेंशन निधि में राशि जमा कराने के सम्बन्ध में निर्देश -

- 8.1 सेवारत कार्मिक जिनकी संस्थाओं में पूर्व में विकल्प के आधार पर पेंशन योजना एवं CPF योजना लागू थी अथवा सिर्फ CPF लागू है या सिर्फ EPF लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का पुनर्विकल्प/विकल्प दिया जा सकेगा।
- 8.2 सेवारत कार्मिक द्वारा एक बार दिया गया पुनर्विकल्प/विकल्प आवेदन अंतिम होगा तथा निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, यह माना जायेगा कि वह CPF / EPF का ही सदस्य बना रहना चाहते हैं।
- 8.3 सेवारत कार्मिकों की CPF की जो राशि मय ब्याज के संस्था में या संस्था द्वारा खोले गये पी.डी. खाते या बैंक खाते में जमा है, वह समस्त नियोक्ता अंशदान राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित पेंशन निधि के पी.डी. खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
- 8.4 CPF की कटौती में से जो राशि EPF की पेंशन निधि के अतिरिक्त अन्य योजना में जमा कराई गई है अर्थात् जो संस्था स्तर पर जमा नहीं होकर अन्यत्र जमा है, ऐसी समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के सेवारत कार्मिक द्वारा स्वयं के स्तर से संबंधित संस्था की नव गठित पेंशन निधि में एक मुश्त जमा कराई जायेगी।
- 8.5 सेवारत कार्मिकों की यदि CPF/EPF कटौती में से नियोक्ता अंशदान की कोई भी राशि किसी अन्य फण्ड/स्कीम यथा Employee Contributory Fund में जमा थी और वह पेंशन निधि में हस्तांतरित नहीं हो सकती हो तो ऐसी समस्त राशि सेवारत कार्मिक को स्वयं मय अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 8.6 जिन संस्थाओं को EPF से छूट प्राप्त है तथा अपने स्तर पर ट्रस्ट गठित किये हुए हैं और नियोक्ता अंशदान की राशि संस्था के पास है तो ऐसी समस्त राशि सक्षम अनुमोदन से संबंधित संस्था द्वारा पेंशन निधि में उस पर अर्जित ब्याज सहित एक मुश्त जमा करानी होगी।
- 8.7 यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन संस्थाओं के कार्यरत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि EPF के अन्तर्गत जमा है तथा दिनांक 30-6-2023 तक प्राप्त नहीं होती है तो



ऐसी समस्त नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज के कार्मिक को स्वयं पेंशन निधि में जमा करानी होगी। उक्त जमा राशि को कार्मिक भविष्य में संबंधित योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं प्राप्त कर सकेंगे।

- 8.8 सेवारत कार्मिक की जो राशि ई.पी.एफ. की पेंशन निधि हेतु जमा की गई है, वह समस्त राशि उसके जमा होने की तिथि के आधार पर कार्मिक को स्वयं 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से जमा करानी होगी।
- 8.9 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु नियोक्ता अंशदान की राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से पेंशन निधि में जमा की जायेगी। जिन संस्थाओं में पूर्व में यह दर कम थी वह सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त इस दर को 12 प्रतिशत कर सकेंगे।
- 8.10 सेवारत कार्मिक जो राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था में विपरीत प्रतिनियुक्ति/ पदस्थापित है, तो उन्हें भी अपने पैतृक संस्था को ही विकल्प हेतु आवेदन करना होगा तथा इन निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी।
- 8.11 सेवारत कार्मिक की जो सेवा पेंशन योग्य है किन्तु किसी अवधि का वेतन किसी भी कारण से नहीं मिला हो तो ऐसे मामले में इस अवधि से पूर्व के वेतन के आधार पर देय कटौती कार्मिक को स्वयं मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पेंशन निधि में जमा करानी होगी। यदि भविष्य में इस अवधि का निर्णय हो जाता है तो कार्मिक अपनी संस्था से इस राशि को नियमानुसार प्राप्त कर सकेंगे।

9. सेवारत कार्मिक की जी.पी.एफ कटौती के सम्बन्ध में निर्देश -

- 9.1 राज्य सरकार द्वारा बोर्ड/निगम आदि को महंगाई भत्ता एवं तदर्थ बोनस/एक्स-ग्रेसिया की राशि के आदेशों में यह शर्त उल्लेखित थी कि नकद भुगतान के अतिरिक्त एरियर राशि में "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित की जायेगी। "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" की कटौती का प्रावधान "राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021" के अन्तर्गत उल्लेखित है। अतः भविष्य में सेवारत कार्मिक इन्हीं नियमों के अन्तर्गत शासित होंगे।
- 9.2 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की राशि जो विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा है, उस राशि को मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 9.3 जिन संस्थाओं में GPF linked Pension Scheme लागू नहीं है, उन संस्थाओं के सेवारत कार्मिकों की GPF linked Pension Scheme के विनियम लागू होने के उपरान्त जो राशि विकल्प देने की तारीख को अंशदायी प्रावधायी निधि में कार्मिक के खाते में जमा होगी, उसे मय ब्याज के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में हस्तान्तरित किया जायेगा।
- 9.4 सभी संस्थाओं के कार्मिकों के "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" के खाते राज्य बीमा एवं सामान्य प्रावधायी निधि विभाग में पूर्व से ही संधारित किये जा रहे हैं। इन्हीं खातों में दिनांक 01.04.2023 से GPF linked Pension Scheme के अन्तर्गत जी.पी.एफ. विनियम में निर्धारित कटौती जो नियोक्ता अंशदान के बराबर है, को भी "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में जमा किया जायेगा।
- 9.5 GPF linked Pension Scheme के अनुसार सेवारत कार्मिकों हेतु कार्मिक की अंशदान राशि कार्मिक के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 12 प्रतिशत की दर से "सामान्य प्रावधायी निधि सैब (GPF-SAB)" में प्रतिमाह जमा होगी।

10. पेंशन भुगतान -

- 10.1 सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार करने तथा सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के जमा होने की पुष्टि के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी। जो कार्मिक दिनांक 01.04.2023 के उपरान्त सेवानिवृत्त होंगे, उनकी पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति के उपरान्त नियमानुसार देय होगी।
- 10.2 पेंशन निधि के प्रारम्भिक गठन हेतु संस्था स्तर से राशि पेंशन निधि में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त एकमुश्त जमा की जा सकेंगी।
- 10.3 पेंशन निधि के गठन उपरान्त प्राप्त राशि तथा तदुपरान्त नियोक्ता अंशदान एवं ब्याज आदि से जमा होने वाली राशि से ही पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जायेगा। पेंशन परिलाभों के भुगतान में राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
- 10.4 राज्य सरकार द्वारा पूर्णतया अनुदानित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं द्वारा स्वयं के स्रोतों से पेंशन निधि में राशि की व्यवस्था की जायेगी। ऐसी संस्थाएं राज्य सरकार से पेंशन परिलाभों के भुगतान हेतु कोई मांग नहीं करेंगी।

11. अन्य निर्देश -

- 11.1 पुनर्विकल्प/विकल्प प्रस्तुत करने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक नियोक्ता अंशदान की राशि एवं उस पर उपरोक्तानुसार देय ब्याज की गणना एवं उसकी शुद्धता का समस्त दायित्व संबंधित संस्था सहित प्रशासनिक विभाग का भी होगा।
- 11.2 सेवानिवृत्त कार्मिक का CPF/EPF के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प स्वीकार होने पर तथा राशि जमा होने के उपरान्त सेवानिवृत्ति की तिथि से दिनांक 31-3-2023 तक संबंधित संस्थाओं में लागू पेंशन प्रावधानों के अन्तर्गत notional fixation किया जा कर तदनुसार पेंशन दिनांक 1-4-2023 से निर्धारित की जायेगी।
- 11.3 यदि किसी संस्था द्वारा नियोक्ता अंशदान के रूप में देय EPF की कटौती राशि समय पर EPF में जमा नहीं कराई गई है तो संस्था विकल्प प्रस्तुत करने वाले तथा तदनुसार राशि मय ब्याज के जमा कराने वाले कार्मिकों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ से राज्य सरकार एवं संस्था के निर्णय से अवगत कराते हुए EFPO को सूचित करेगी तथा तदुपरान्त इस देय राशि को भी पेंशन निधि में हस्तांतरित करेगी।
- 11.4 यदि संस्था द्वारा CPF की राशि के नियोक्ता अंशदान की राशि संबंधित खाते में जमा नहीं कराई है तो वह अब उक्त राशि को पेंशन निधि में जमा करायेगी।
- 11.5 पुरानी पेंशन योजना के संबंध में पेंशनरों/कार्मिकों द्वारा माननीय न्यायालयों में जो वाद दायर किये हुए हैं, उन न्यायिक वादों में उपरोक्त निर्देशों के क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त तथा संस्था में इसे अंगीकार करने के उपरान्त सिर्फ पुरानी पेंशन योजना की प्रार्थना से संबंधित बिन्दु पर संस्था द्वारा राज्य सरकार की उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर राजकीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित किया जाये। जो प्रकरण माननीय न्यायालयों से निर्णित / निस्तारित हो चुके हैं, उनमें भी इन आदेशों में निर्धारित दिशा-निर्देशों की सीमा तथा शर्तों पर और उसे सक्षम स्तर से एवं संबंधित कार्मिक / सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा सहमत होने पर संबंधित कार्मिकों / सेवानिवृत्त कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय होगा।
- 11.6 पेंशन विकल्प प्रस्तुत करने तथा राशि पेंशन निधि में जमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 30.06.2023 निर्धारित की गई है। पेंशन विकल्प प्रस्तुत करते समय ही संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक/ सेवारत कार्मिक से अथवा संस्था के स्वयं के स्तर

②

से जमा की जाने वाली राशि एवं उस पर देय ब्याज की सुनिश्चितता आवश्यक रूप से कर ले।

- 11.7 समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षित है कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बां में अवगत कराया जा सके। संस्था से भी अपेक्षित है कि समस्त कार्मिक/ सेवानिवृत्त कार्मिकों का CPF/EPF से संबंधित समस्त रिकार्ड अतिशीघ्र संधारित कर लिया जाये ताकि विकल्प दिये जाने की स्थिति में राशि एवं उस पर देय ब्याज की सही गणना सुनिश्चित की जा सके और राशि पेंशन निधि में समयबद्ध रूप से हस्तांतरित/जमा की जा सके।

उपरोक्त के साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र विकल्प पत्र प्रस्तुत करने से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा बल्कि जमा राशि की जांच होने तथा तदनुसार निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज पेंशन निधि में जमा हो जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विकल्प स्वीकार करने पर नियमानुसार पेंशन निर्धारित की जायेगी। यदि दिनांक 30.06.2023 को निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 15.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है।

Encl : Option Form

राज्यपाल की आज्ञा से,


(रोहित गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विनागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


20/4/23

(एस.जेड. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension अ / 2023)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 17.6.2023

आदेश

विषय:- राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहाँ CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।


सन्दर्भ:-वित्त (नियम) विभाग की अशा.टीप क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 21.02.2023 एवं आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023)।

राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने के निर्णय की पालना के संबंध में जारी उपरोक्त संदर्भित अशा.टीप एवं आदेशों में सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिकों द्वारा सम्बन्धित संस्था के प्राधिकृत अधिकारी को दिनांक 30.06.2023 तक विकल्प प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये थे।

आदेश क्रमांक प.13(12)वित्त/नियम/2021 दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) में समस्त सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक से यह अपेक्षा की गई थी कि अपना विकल्प पत्र दिनांक 15.06.2023 तक प्रस्तुत कर दे, ताकि संस्था के स्तर से दिनांक 30.06.2023 तक जमा की जाने वाली राशि तथा उस पर देय ब्याज की राशि गणना सुनिश्चित की जा सके तथा इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त/सेवारत कार्मिक को जमा कराये जाने वाली राशि के बारे में अवगत कराया जा सके।

इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.07.2023 बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 15.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 31.07.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेश गुप्ता)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस.जेड. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.13(12)वित्त(नियम)/2021

जयपुर, दिनांक : 06 JUL 2023

आदेश

विषय: राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं में, जहां CPF/EPF/NPS लागू थी या कोई भी योजना लागू नहीं थी, के संबंध में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने बाबत।

सन्दर्भ: वित्त (नियम) विभाग की समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2023 (पेंशन 2/2023 एवं 3/2023) एवं आदेश दिनांक 17.06.2023।

संदर्भित समसंख्यक अशा.टीप दिनांक 21.02.2023, आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं 17.06.2023 द्वारा राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्मिकों हेतु सीपीएफ के विकल्प के स्थान पर पेंशन योजना का विकल्प देने हेतु दी गई सहमति F.No.11/5/2001-IR दिनांक 26-6-2020 तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 18-9-2020 के आलोक में तथा वित्त विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए समसंख्यक आदेश दिनांक 20-4-2023 में निम्न सीमा तक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. सेवानिवृत्त / मृतक कार्मिक के संबंध में :

- (i) जिन संस्थाओं के कार्मिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके द्वारा CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एक मुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (ii) जिन संस्थाओं के कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार के पारिवारिक पेंशन के पात्र सदस्य द्वारा कार्मिक को अथवा उनके परिवार को प्राप्त CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की प्राप्त समस्त राशि उसको प्राप्त करने की तिथि से वापस जमा करवाने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी।
- (iii) जिन संस्थाओं के कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी CPF/EPF की राशि संस्था में ही पुनः निवेशित कर दी गई है या सेवानिवृत्ति के उपरान्त किसी भी कारण से CPF/EPF की राशि संस्था में ही जमा है, तो ऐसे मामलों में राशि का आहरण नहीं करने के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानकर सेवानिवृत्त कार्मिक को सेवानिवृत्ति पर CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा करवाई जायेगी अथवा संस्था स्तर से सीधे ही पेंशन निधि में सेवानिवृत्त कार्मिक की सहमति से हस्तांतरित की जायेगी।

2/10

- (iv) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक के वेतन में संशोधन के कारण बाद में नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज के राशि प्राप्त हुई हो अथवा भविष्य में प्राप्त हो, तो उस CPF/EPF के नियोक्ता अंशदान मय अर्जित ब्याज की समस्त राशि पेंशन निधि में जमा कराने की तिथि तक 3 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर सहित एकमुश्त पेंशन फण्ड में जमा कराया जायेगा।
- (v) यदि सेवानिवृत्त कार्मिक की CPF/EPF के लिये नियोक्ता अंशदान की किसी भी राशि को यदि किसी अन्य फण्ड / स्कीम यथा पेंशन स्कीम EPS, 1995 आदि में जमा कराया गया है, तो उस अंशदान राशि पर अर्जित ब्याज की गणना 12 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के आधार पर जमा कराने की तिथि तक करते हुए एक मुश्त राशि पेंशन निधि में जमा कराई जायेगी।
- (vi) जिन कार्मिकों द्वारा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार तकनीकी त्यागपत्र दिया जाकर अन्य संस्थान में नवीन पद पर कार्यग्रहण किया है, उनके मामलों में नियमों के अनुसार परीक्षण उपरान्त विकल्प स्वीकार करने के संबंध में प्रचलित पेंशन नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (vii) जिन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु से पूर्व नियमानुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है, वह भी इन दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. सेवारत कार्मिक के संबंध में :-

- (i) CPF/EPF का विकल्प देने वाले सेवारत कार्मिकों की नियोक्ता अंशदान की राशि यदि संस्था में है, तो यह समस्त CPF/EPF की राशि मय अर्जित ब्याज के पेंशन फण्ड में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी; परन्तु यदि यह राशि CPF/EPF/NPS से संबंधित संस्थाओं में है और विकल्प की निर्धारित समय सीमा तक प्राप्त नहीं होती है, तो नियोक्ता अंशदान की राशि मय अर्जित ब्याज/ मूल्य के कार्मिक को स्वयं पेंशन फण्ड में एकमुश्त जमा करानी होगी।
- (ii) जिन संस्थाओं द्वारा सेवारत कार्मिकों के नियोक्ता अंशदान को अन्यत्र विनिवेशित है या किसी प्रतिभूति आदि के रूप में जमा है, उन संस्थाओं नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि मय अर्जित ब्याज के निर्धारित तिथि तक राशि पेंशन निधि में हस्तांतरित करनी होगी; परन्तु विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 3 माह तक का शिथिलन वित्त विभाग की सक्षम अनुमति से दिया जा सकेगा। इस स्थिति में संस्था द्वारा अर्जित ब्याज उस तिथि तक का होगा, जिस तिथि को राशि पेंशन निधि में हस्तान्तरित की जाती है।

3. अन्य दिशा निर्देश :-


- (i) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन रूपान्तरण) नियम, 1996 भिन्न-भिन्न हैं और पेंशन परिभाषों की परिभाषा में सिर्फ पेंशन एवं ग्रेच्युटी सम्मिलित होता है। संस्थाओं से यह अपेक्षित है कि यदि पेंशन विनियम उपरोक्त संदर्भित नियमों के आधार पर अंगीकार किया जाता है या किया गया हो, तो पेंशन निधि में जमा होने वाली संभावित राशि के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं भविष्य की देयताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही तथा आकलन करने के उपरान्त पेंशन रूपान्तरण के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लें।
- (ii) संस्था में GPF Linked Pension Scheme लागू होने के उपरान्त नियमित वेतनमान में नियुक्त होने वाले कार्मिकों पर GPF Linked Pension Scheme के प्रावधान ही लागू रहेंगे।

2/11/17

जिन संस्थाओं ने संबंधित से विकल्प पत्र प्राप्त कर लिये हैं या पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार राशि जमा कर ली है, उन सभी संस्थाओं द्वारा पुनः उपरोक्तानुसार नवीन मार्गदर्शन/संशोधन के संदर्भ से पुनः विकल्प प्राप्त करने होंगे तथा राशि को तदनुसार समायोजित जमा/लौटाने की कार्यवाही करनी होगी। वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से भिन्न किसी प्रकार के दिशा निर्देश संस्था द्वारा जारी नहीं किये जायें।

वित्त विभाग द्वारा जारी संदर्भित आदेशों की निरन्तरता में विकल्प प्राप्त करने एवं निर्धारित राशि जमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.2023 तक बढ़ाई जाती है। यदि दिनांक 31.07.2023 तक निर्धारित सम्पूर्ण राशि मय ब्याज जमा होने के उपरान्त कोई अन्तर राशि गणितीय जांच के कारण संस्था स्तर से बकाया रहती है, तो ऐसी शेष राशि समान शर्तों पर दिनांक 16.08.2023 तक जमा कराई जा सकती है। संदर्भित आदेशों के साथ संलग्न विकल्प पत्रों में भी उक्त संशोधन लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(के.के. पाठक)


शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को भेज कर अनुरोध है कि उनसे संबंधित प्रशासनिक विभाग के अधीन आने वाले समस्त स्वायत्तशासी निकाय/बोर्ड/विश्वविद्यालय आदि में उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप - 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर


(एस.जे. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 6 / 2023)

OPTION FORM

(3 copies - one copy should be pasted on service book, one copy may be returned to employee after accepting option and one copy to be retained in official record.)

Name of the organization

A. To be filled by employees who were in service/retired and also eligible family member of deceased employee who were earlier governed by CPF / EPF for switching over to Old Pension Scheme.

1. I, (name) the undersigned, hereby re-option/option for old pension scheme of the organization and exercise the option to be governed by the provision of already existing GPF linked pension regulations named as or New Pension Regulation

2. I am aware the option for pension once exercised will be final and irrevocable.

1. Full Name : _____

2. Designation : _____

3. Department/Office : _____

4. CPF/EPF No. (If any): _____

5. Employee ID /GPF SAB No. _____

Note: If dependent of the family member is applying for old pension scheme then relevant documents should also be attached to ascertain eligibility under pension related provisions.

Signature of employee / dependent member with Date

Witness :

Witness 1. Signature and date


Name in Full

Designation

Witness 2. Signature and date

Name in Full

Designation


संयुक्त शासन नयिन-II

Continued

B. To be filled by office :

Received from(Name & designation)

regarding option forPension Scheme.

Note : In case of family pension the relevant documents should also be submitted with option form.

(Signature & Seal, Name and designation of receiving officer)

Date :

C. To be filled by officer of the authorized officer of the organization who is accepting the option

(i) Details of amount deposited / transferred one time by the employee / dependent with interest (as applicable) Rs.....

(ii) details of amount deposited / transferred one time by the employer (as applicable) Rs.....

(iii) Total amount one time deposited / transferred Rs.....

Note:

1. This option form shall be accepted only after deposition / transfer of one time amount as per order issued by State Government

2. The last date of deposition / transfer of all amount is 30.06.2023. However in case there is difference in calculated amount and the deposited / transferred amount, the remaining amount can be deposited / transferred by the employee / employer / dependent one time upto 15-7-2023.

3. It is certified that the calculation of deposited / transferred amount has been checked & the amount has been deposited/ transferred in the pension fund on


As all due amount has been deposited / transferred in the pension fund, therefore the option of Mr. / Ms. is accepted for pension / family pension from (date)

Dated :

Time :

Signature with Seal

of the designation officer of the organization


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ-11